BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 964/2024

IN THE MATTER OF:

SYED MOHD RASHID **APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS **RESPONDENT(S)**

INDEX

Sl. No.	Particulars	Pages
1.	Reply On Behalf of Respondent No.1-District Magistrate, Saharanpur, State of Uttar Pradesh along with supporting Affidavit.	1-5
2.	**ANNEXURE P/1: -** True copy of the Letter dated 16.04.2026.	6
3.	**ANNEXURE P/2: -** True copy of the Inspection Report dated 11.06.2026 and Joint-Inspection Report dated 10.06.2026	7-8
4.	**ANNEXURE P/3: -** True copies of the eviction orders.	9-30
5.	**ANNEXURE P/4:-** True copies of the orders dated 22.07.2026 by Tehsildar passed in the Appeals	31-57

Date: 25/**07/2026** **THROUGH**

Place: New Delhi

Priyanka

Priyanka swami
Advocate
Standing Counsel for the State of U.P.
F-13, Jangpura, New Delhi 110014
E-mail: advpriyankaswami@gmail.com

NOTARIAL

Brij Mohan Singh
Advocate & Notary
Saharanpur (U.P.)
Reg. No.-9455/12
Expiry on-12/09/27

NOTARY PUBLIC GOVT. OF INDIA

NOTARIAL

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 964/2024

IN THE MATTER OF:

SYED MOHD RASHID **APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS **RESPONDENT(S)**

ADDITIONAL REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO.1- DISTRICT MAGISTRATE, SAHARANPUR ALONG WITH SUPPORTING AFFIDAVIT

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Arvind Kumar Chauhan, S/o Lakshmi Narayan Chauhan, aged about 43 years, presently posted as District Magistrate Saharanpur, Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and state as under

NOTARY PUBLIC
Brij Mohan Singh
Advocate & Notary
Saharanpur (U.P.)
Reg. No.-9455/12
Expiry on-12/09/27
GOVT. OF INDIA

S.R.N.
7044
23/7/26

1. That I am posted as above and I am well conversant with the facts and circumstances of the present case and am competent to swear the present affidavit.
2. That the accompanying compliance affidavit has been drafted by the counsel on my instructions. The contents of the present affidavit are true and correct and are derived from the official records and no material fact has been concealed therefrom.
3. That the present reply is being filed on behalf of the District Magistrate, Saharanpur, State of Uttar Pradesh, in compliance with

the Order dated 02.04.2026 allowing the answering Respondent to file additional response and apprise the Hon'ble Tribunal about the eviction proceedings pending against the encroachers.

4. That for the compliance of the above said order Letter No. 38/O&F-964/2024-2026 dated 16.04.2026 was issued to Sub-District Magistrate, Deoband Saharanpur to apprise about the status of the eviction proceedings. **True copy of the Letter dated 16.04.2026 is hereby annexed and marked as Annexure P/1.**

5. That it is humbly submitted that the investigation report was obtained from the Tehsildar Deoband and as per the investigation report number 2729/R.Li. dated 10.06.2026 of the Tehsildar Deoband, and in compliance of the order dated 17.09.2024 in the instant matter, a joint on-site inspection of Gata No. 271m/0.1020-hectare Noiyyat Johad and Gata No. 273/0.1740 hectare Noiyyat Johad situated in village Tashipur, Mu. Pargana Nagal was conducted by the revenue team on 13.11.2024. **True copy of the Inspection Report dated 10.06.2026 and Joint-Inspection Report dated** 10.06.2026 **is hereby annexed and marked as Annexure P/2 (Colly).**

NOTARY PUBLIC
Brij Mohan Singh
Advocate & Notary
Saharanpur (U.P.)
Reg. No.-9455/12
Expiry on-12/09/27
GOVT. OF INDIA

6. That after on-site inspection, Khata No. 271m/0.1020-hectare Noiyyat Johad and Khata No. 273/0.1740 hectare Noiyyat Johad were found to be under illegal occupation of some persons including Imran, Inam and Israr sons of Abdul Hasan. And to free the above two Johads from encroachment, 22 suits for eviction were filed simultaneously against all the above-mentioned persons in the court of Tehsildar Deoband under Section 67(1) of the Uttar Pradesh R.C.

7. That after the hearing, in all the 22 cases, after the unauthorized possession of the disputed land by the opponents was proved, an eviction order was passed against the encroachers on 10.04.2026 and a fine was imposed and RC Form-21 was issued for the eviction proceedings and recovery of the fine. **True copies of the eviction orders passed are hereby annexed and marked as Annexure P/3 (Colly).**

NOTARY PUBLIC GOVT. OF INDIA Brij Mohan Singh Advocate & Notary Saharanpur (U.P.) Reg. No.-9455/12 Expiry on-12/09/27

8. That appeal no. D 202609600003658, D 202609600003747, D 202609600003746 etc. were filed by the opponents Imran, Inam, Israr sons of Abul Hasan, Mukarram son of Mohd. Umar, Salim son of Mohammad, etc. in the Court of Collector Saharanpur against the eviction order dated 10.04.2026 passed by the Court of Tehsildar Deoband.

9. That the said appeals were listed for hearing on 22.07.2026 and the appellate authority dismissed all appeals and affirmed the orders of the Tehsildar directing removal of encroachment from Gram Sabha Johad (pond) land. **True copies of the orders dated 22.07.2026 by Tehsildar passed in the Appeals is annexed hereby and marked as Annexure P/4 (Colly).**

10. That the present Reply is being filed bona fide for placing the latest factual status before this Hon'ble Tribunal and for demonstrating substantial compliance undertaken by the answering Respondent.

11. That the facts stated hereinabove are based upon official records, documents available in the office, and the same are being respectfully submitted before this Hon'ble Tribunal for appropriate consideration and further necessary orders as may be deemed fit in the interest of justice and environmental compliance.

NOTARY PUBLIC GOVT. OF INDIA
Brij Mohan Singh
Advocate & Notary
Saharanpur (U.P.)
Reg. No.-9455/12
Expiry on-12/09/27

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Saharanpur on this 23rd day of July, 2026 that the contents of the above affidavit are correct to my knowledge as derived from the official record available in my office and believed to be true. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Date

23.07.2026

NOTARY PUBLIC
Brij Mohan Singh
Advocate & Notary
Saharanpur (U.P.)
Reg. No.-9455/12
Expiry on-12/09/27
GOVT. OF INDIA

DEPONENT

Through Counsel
District Magistrate,
Saharanpur, Uttar Pradesh

Identified By

पवन सिंह एडवोकेट
रजि० नं०–2403/05
सी.ओ.पी. नं०–88304/18
चै०नं०–68, मैन गेट के पास
कलैक्ट्रेट कोर्ट सहारनपुर
मो० नं०–9319510560

SWORN & VERIFIED
BEFORE ME
23 JUL 2026
Brij Mohan Singh
Advocate & Notary (Govt. of India)
Reg. No.-9455/12, Saharanpur (U.P.)

(2)

कार्यालय जिलाधिकारी, सहारनपुर

पत्रांक : 38/O.A.No-964/2024/2026 दिनांक : 16/04/2026

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
देवबन्द, सहारनपुर।

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण
समयबद्ध/अतिमहत्वपूर्ण

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या– 964/2024 Syed Mohd Rashid Versus State of U.P. & Ors. दिनांक–02.04.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 ओ0ए0 संख्या– 964/2024 Syed Mohd Rashid Versus State of U.P. & Ors. दिनांक–02.04.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पारित आदेश दिनांक–02.04.2026 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

> *"....1. Learned counsel for respondents no. 1 and 2 seeks two months' time for filing of additional response by respondent no. 1-DM, Saharanpur on the ground that eviction proceedings are pending against the encroachers which are likely to take some time.*
>
> *2. Additional response by respondent no. 1-DM, Saharanpur may be filed within two months.*
>
> *3. List on 27.07.2026 for further hearing.*

अतः उक्त पारित आदेशों के अनुक्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशों के अनुपालन हेतु वांछित आख्या अधोहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन ससमय किया जा सकें।

(मनीष बंसल)
जिलाधिकारी,
सहारनपुर।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
सहारनपुर।

o/c RO UPPCB

कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट, देवबन्द जनपद सहारनपुर।

संख्याः 780 / पी0ए0 दिनांकः 11 .06.2026

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–964/ 2024 **Syed Mohd Rasid Versus State of U.P.& Ors.** दिनांक 02.04.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

जिलाधिकारी,
सहारनपुर।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या 38/ओएण्डच–964/2024–2026 दिनांक 16.04.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करे जिसके अन्तर्गत मा0 न्यायालय एन0जी0टी0 प्रिंसिपल बैंच नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 964/2024 Syed Mohd Rasid Versus State of U.P.& Ors. में पारित आदेश दिनांक 02.04.2026 के सुसंगत अंश निम्नवत् है–
"..... Learned counsel for respondents no. 1 and 2 seeks two months' time for filing of additional response by respondent no. 1-DM, Saharanpur on the ground that eviction proceedings are pending against the encroachers which are likely to take some time.
2. Additional response by respondent no. 1-DM, Saharanpur may be filed within two months.
3. List on 27.07.2026 for further hearing
के कम में आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है उक्त के कम में आख्या निम्न प्रकार है।

प्रकरण में तहसीलदार देवबन्द से जांच आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार देवबन्द की संलग्न जांच आख्या संख्या 2729/रा0लि0 दिनांक 10 जून, 2026 के अनुसार सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रार्थना पत्र कमांक 964/2024 सैय्यद मौ0 राशिद बनाम स्टैट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक : 17.09.2024 को अंतिम आदेश पारित किया गया। मा0 अधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में ग्राम ताशीपुर मु0 परगना नागल स्थित गाटा सं0 271मि0/0.1020हे0 नोईय्यत जोहड व गाटा सं0 273/0.1740हे0 नोईय्यत जोहड का दिनांक 13.11.2024 को राजस्व टीम द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण उपरान्त गाटा 271मि0/0.1020हे0 नोईय्यत जोहड व गाटा सं0 273/0.1740हे0 नोईय्यत जोहड पर इमरान, इनाम व इसरार पुत्रगण अब्दुल हसन सहित कुछ व्यक्तियों का अवैध कब्जा पाया गया। उक्त दोनों जोहड को अतिकमण मुक्त कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश रा0स0 की धारा 67(1) के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार देवबन्द में उपरोक्त वर्णित सभी व्यक्तियों के विरूद्ध बेदखली हेतु 22 वाद एक साथ योजित किये गये। वाद योजित किये जाने के उपरान्त विपक्षियों को नोटिस जारी कर तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त विपक्षीगण न्यायालय में हाजिर आये एवं सभी वादों में गुण दोष पर सुनवाई प्रारम्भ हुई। विपक्षीगणों को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई के अवसर प्रदान किये गये। सुनवाई उपरान्त वाद ग्रस्त भूमि पर समस्त 22 वादों में विपक्षीगणों का अनाधिकृत कब्जा सिद्ध होने के उपरान्त विपक्षीगणों के विरूद्ध दिनांक 10.04.2026 को बेदखली का आदेश पारित करते हुए जुर्माना आयद किया गया एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने एवं जुर्माना वसूली हेतु आर0सी0 प्रपत्र–21 जारी किया गया। वर्तमान में विपक्षी इमरान, इनाम, इसरार पुत्रगण आबुल हसन, मुकर्रम पुत्र मौ0 उमर, सलीम पुत्र मौहम्मद, आदि द्वारा न्यायालय कलेक्टर सहारनपुर में न्यायालय तहसीलदार देवबन्द द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक 10.04.2026 के विरूद्ध अपील सं0 डी202609600003658, डी202609600003747, डी202609600003746 आदि योजित की गई है जो वर्तमान में विचाराधीन है। जिनमें अग्रिम तिथि 17.06.2026 नियत है। आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(विजय प्रताप सिंह)
उप जिलाधिकारी, देवबन्द
सहारनपुर।

कार्यालय तहसीलदार देवबन्द जिला सहारनपुर।

पत्रांकः– 2729/रा0लि0 दिनांकः– 10 जून 2026

उपजिलाधिकारी
देवबन्द।

महोदय,

कृपया कार्यालय जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर के पत्रांक 38/O.A.N.-964/2024/2026 दिनांक 16.04.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके अन्तर्गत मा0 न्यायालय एन0जी0टी0 प्रिंसिपल बैंच नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 964/2024 सय्यद मौ0 राशिद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.04.2026 के सुसंगत अंश निम्नवत् है–

"..... Learned counsel for respondents no. 1 and 2 seeks two months' time for filing of additional response by respondent no. 1-DM, Saharanpur on the ground that eviction proceedings are pending against the encroachers which are likely to take some time.

2. Additional response by respondent no. 1-DM, Saharanpur may be filed within two months.

3. List on 27.07.2026 for further hearing

के कम में आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है उक्त के कम में आख्या निम्न प्रकार है।

उक्त निर्देश के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रार्थना पत्र कमांक 964/2024 सैय्यद मौ0 राशिद बनाम स्टैट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 17.09.2024 को अंतिम आदेश पारित किया गया। मा0 अधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में ग्राम ताशीपुर मु0 परगना नागल स्थित गाटा सं0 271मि0/0.1020हे0 नोईय्यत जोहड व गाटा सं0 273/0.1740हे0 नोईय्यत जोहड का दिनांक 13.11.2024 को राजस्व टीम द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण उपरान्त गाटा 271मि0/0.1020हे0 नोईय्यत जोहड व गाटा सं0 273/0.1740हे0 नोईय्यत जोहड पर इमरान, इनाम व इसरार पुत्रगण अब्दुल हसन सहित कुछ व्यक्तियों का अवैध कब्जा पाया गया। उक्त दोनो जोहड को अतिकमण मुक्त कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश रा0स0 की धारा 67(1) के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार देवबन्द में उपरोक्त वर्णित सभी व्यक्तियों के विरूद्ध बेदखली हेतु 22 वाद एक साथ योजित किये गये। वाद योजित किये जाने के उपरान्त विपक्षीयों को नोटिस जारी कर तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त विपक्षीगण न्यायालय में हाजिर आये एवं सभी वादो में गुण दोष पर सुनवाई प्रारम्भ हुई। विपक्षीगणो को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई के अवसर प्रदान किये गये। सुनवाई उपरान्त वाद ग्रस्त भूमि पर समस्त 22 वादो में विपक्षीगणो का अनाधिकृत कब्जा सिद्ध होने के उपरान्त विपक्षीगणो के विरूद्ध दिनांक 10.04.2026 को बेदखली का आदेश पारित करते हुए जुर्माना आयद किया गया एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने एवं जुर्माना वसूली हेतु आर0सी0 प्रपत्र 21 जारी किया गया। वर्तमान में विपक्षी इमरान, इनाम, इसरार पुत्रगण आबुल हसन, मुकर्रम पुत्र मौ0 उमर, सलीम पुत्र मौहम्मद, आदि द्वारा न्यायालय कलेक्टर सहारनपुर में न्यायालय तहसीलदार देवबन्द द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक 10.04.2026 के विरूद्ध अपील सं0 डी202609600003658, डी202609600003747, डी202609600003746 आदि योजित की गई है जो वर्तमान में विचाराधीन है। (वाद मे दि॰ 17.6.26 नियत है)

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

PA
उपजिलाधिकारी देवबन्द
11/6/26

तहसीलदार
देवबन्द

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :सहारनपुर , जनपद :सहारनपुर , तहसील :देवबन्द
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202409600406005
वाद संख्या:- 6005/2024
ग्राम सभा बनाम वाजिद
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 10/04/2026

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम तशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा आर0सी0प्रपत्र 19 पर प्रेषित आख्या दिनांक 14.10.2024 के आधार पर योजित हुआ। लेखपाल की आख्यानुसार प्रतिवादी वाजिद पुत्र काजिम निवासी ताशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा ग्राम के गाटा संख्या 271/0.1740हे0 (जोहड) में से 0.0099हे0, पर पक्का मकान बनाकर अवैध अध्यासन मे कर लिया है, जिससे ग्राम समाज की भूमि को क्षति पहुॅचाई है। जिसे प्रतिवादी को बेदखल कर क्षतिपूर्ति वसूली जाये।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर, प्रतिपक्ष को आर0सी0प्रपत्र 20 जारी किया गया नोटिस तामील के उपरान्त विपक्षी की ओर से आपत्ति दाखिल की गई । ग्राम सभा की ओर से लेखपाल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान अंकित कराया गया। जिसमें उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट को तसदीक किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता पिछली कई नियत तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई के अवसार प्रदान किये गये। जिसके उपरान्त भी प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता अनुपस्थित। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता आपत्ति चलाने में रूची नही रखते है। अतः उक्त आपत्ति को निरस्त किया जाता है।

ग्राम सभा की ओर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व देवबन्द को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से स्पष्ट है कि वर्णित भूमि ग्राम समाज की भूमि है जिसपर प्रतिवादी का अनाधिकार कब्जा सिद्ध है। जिससे विपक्षी को बेदखल किया जाना न्यायोचित है।

अतः उ0प्र0रा0संहिता 2006 की धारा 67 मे प्रदत्त प्राविधानो के अनुक्रम मे शास्तियां आरोपित की जाती है।

आदेश

वर्णित विवेचना के आलोक मे आर0सी0प्रपत्र 20 दिनांक 17.04.2025 की पुष्टि की जाती है। ग्राम ताशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के गाटा संख्या 271 रकबा 0.0099हे0 (जोहड) की भूमि से प्रतिवादी वाजिद पुत्र काजिम निवासी तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर को बेदखल किया जाता है तथा विपक्षी पर अंकन 253800/-रूपये क्षतिपूर्ति एवं निष्पादन शुल्क 4000/ रूपये आयत किया जाता है। नोटिस आर0सी0प्रपत्र 21 उ0प्र0रा0संहिता 2006 निर्गत होवे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखालय मे संचित होवें

दिनांकः

सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार

देवबन्द।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :सहारनपुर , जनपद :सहारनपुर , तहसील :देवबन्द
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202409600406004
वाद संख्या:- 6004/2024
ग्राम सभा बनाम नवाब व आलमगीर
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 10/04/2026

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम तशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा आर0सी0प्रपत्र 19 पर प्रेषित आख्या दिनांक 14.10.2024 के आधार पर योजित हुआ। लेखपाल की आख्यानुसार प्रतिवादी नवाब व आलमगीर पुत्रगण कुरबान निवासी ताशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा ग्राम के गाटा संख्या 271/0.2040हे0 (जोहड), में से 0.0090हे0 पर पक्का मकान बनाकर अवैध अध्यासन मे कर लिया है, जिससे ग्राम समाज की भूमि को क्षति पहुँचाई है। जिसे प्रतिवादी को बेदखल कर क्षतिपूर्ति वसूली जाये।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर, प्रतिपक्ष को आर0सी0प्रपत्र 20 जारी किया गया नोटिस तामील के उपरान्त विपक्षी की ओर से आपत्ति दाखिल की गई । ग्राम सभा की ओर से लेखपाल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान अंकित कराया गया। जिसमें उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट को तसदीक किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता पिछली कई नियत तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई के अवसार प्रदान किये गये। जिसके उपरान्त भी प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता अनुपस्थित। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता आपत्ति चलाने में रूची नही रखते है। अतः उक्त आपत्ति को निरस्त किया जाता है।

ग्राम सभा की ओर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व देवबन्द को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से स्पष्ट है कि वर्णित भूमि ग्राम समाज की भूमि है जिसपर प्रतिवादी का अनाधिकार कब्जा सिद्ध है। जिससे विपक्षी को बेदखल किया जाना न्यायोचित है।

अतः उ0प्र0रा0संहिता 2006 की धारा 67 मे प्रदत्त प्राविधानो के अनुक्रम मे शास्तियां आरोपित की जाती है।

आदेश

वर्णित विवेचना के आलोक मे आर0सी0प्रपत्र 20 दिनांक 17.04.2025 की पुष्टि की जाती है। ग्राम ताशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के गाटा संख्या 271 रकबा 0.0090हे0 (जोहड) की भूमि से प्रतिवादी नवाब व आलमगीर पुत्रगण कुरबान निवासी ताशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर को बेदखल किया जाता है तथा विपक्षी पर अंकन 251100/-रूपये क्षतिपूर्ति एवं निष्पादन शुल्क 4000/ रूपये आयत किया जाता है। नोटिस आर0सी0प्रपत्र 21 उ0प्र0रा0संहिता 2006 निर्गत होवे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखालय मे संचित होवें

दिनांकः

सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार

देवबन्द।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :सहारनपुर , जनपद :सहारनपुर , तहसील :देवबन्द
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202409600406003
वाद संख्या:- 6003/2024
ग्राम सभा बनाम साजि, कामिल, फईम
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 04/04/2026

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम ताशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा आर0सी0प्रपत्र 19 पर प्रेषित आख्या दिनांक 14.10.2024 के आधार पर योजित हुआ। लेखपाल की आख्यानुसार प्रतिवादी साजिद, कामिल, फईम पुत्रगण इरशाद निवासी तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा ग्राम के गाटा संख्या 271म रकबा 0.2040हे0 में से 0.0030हे0 पर पक्का मकान बनाकर अवैध अध्यासन मे कर लिया है,जिससे ग्राम समाज की भूमि को क्षति पहुॅचाई है। जिसे प्रतिवादी को बेदखल कर क्षतिपूर्ति वसूली जाये।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर, प्रतिपक्ष को आर0सी0प्रपत्र 20 जारी किया गया। नोटिस तामील के उपरान्त भी विपक्षीगण की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नही की गई । ग्राम सभा की ओर से लेखपाल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान अंकित कराया गया। जिसमें उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट को तसदीक किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता लगातार अनुपस्थित है। प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई के अवसार प्रदान किये गये। जिसके उपरान्त भी प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता अनुपस्थित। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी को आर0सी0प्रपत्र 20 स्वीकार है।

ग्राम सभा की ओर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व देवबन्द को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से स्पष्ट है कि वर्णित भूमि ग्राम समाज की भूमि है जिसपर प्रतिवादी का अनाधिकार कब्जा सिद्ध है। जिससे विपक्षी को बेदखल किया जाना न्यायोचित है।

अतः उ0प्र0रा0संहिता 2006 की धारा 67 मे प्रदत्त प्राविधानो के अनुक्रम मे शास्तियां आरोपित की जाती है।

आदेश

वर्णित विवेचना के आलोक मे ग्राम तांशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के गाटा संख्या 271म रकबा 0.0030हे0 से प्रतिवादी साजिद, कामिल, फईम पुत्रगण इरशाद निवासी तांशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर को बेदखल किया जाता है तथा विपक्षी पर अंकन 83700/-रूपये क्षतिपूर्ति एवं निष्पादन शुल्क 4000/- रूपये आयत किया जाता है। नोटिस आर0सी0प्रपत्र 21 उ0प्र0रा0संहिता 2006 निर्गत होवे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखालय मे संचित होवें

दिनांकः

सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार

देवबन्द।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :सहारनपुर , जनपद :सहारनपुर , तहसील :देवबन्द
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202409600406002
वाद संख्या:- 6002/2024
ग्राम सभा बनाम श्रीमति जमीला
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 04/04/2026

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम ताशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा आर0सी0प्रपत्र 19 पर प्रेषित आख्या दिनांक 14.10.2024 के आधार पर योजित हुआ। लेखपाल की आख्यानुसार प्रतिवादी श्रीमति जमीला पत्नी अख्तर निवासी तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा ग्राम के गाटा संख्या 271म रकबा 0.2040हे0 में से 0.0073हे0 पर पक्का मकान बनाकर अवैध अध्यासन मे कर लिया है,जिससे ग्राम समाज की भूमि को क्षति पहुँचाई है। जिसे प्रतिवादी को बेदखल कर क्षतिपूर्ति वसूली जाये।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर, प्रतिपक्ष को आर0सी0प्रपत्र 20 जारी किया गया। नोटिस तामील के उपरान्त भी विपक्षीगण की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नही की गई । ग्राम सभा की ओर से लेखपाल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान अंकित कराया गया। जिसमें उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट को तसदीक किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता लगातार अनुपस्थित है। प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई के अवसार प्रदान किये गये। जिसके उपरान्त भी प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता अनुपस्थित। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी को आर0सी0प्रपत्र 20 स्वीकार है।

ग्राम सभा की ओर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व देवबन्द को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से स्पष्ट है कि वर्णित भूमि ग्राम समाज की भूमि है जिसपर प्रतिवादी का अनाधिकार कब्जा सिद्ध है। जिससे विपक्षी को बेदखल किया जाना न्यायोचित है।

अतः उ0प्र0रा0संहिता 2006 की धारा 67 मे प्रदत्त प्राविधानो के अनुक्रम मे शास्तियां आरोपित की जाती है।

आदेश

वर्णित विवेचना के आलोक मे ग्राम तांशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के गाटा संख्या 271म रकबा 0.0073हे0 से प्रतिवादी श्रीमति जमीला पत्नी अख्तर निवासी तांशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर को बेदखल किया जाता है तथा विपक्षी पर अंकन 203670/-रूपये क्षतिपूर्ति एवं निष्पादन शुल्क 4000/-रूपये आयत किया जाता है। नोटिस आर0सी0प्रपत्र 21 उ0प्र0रा0संहिता 2006 निर्गत होवे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखालय मे संचित होवें

दिनांकः

सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार

देवबन्द।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :सहारनपुर , जनपद :सहारनपुर , तहसील :देवबन्द
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202409600406001
वाद संख्या:- 6001/2024
ग्राम सभा बनाम मुर्तजा
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 10/04/2026

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम तशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा आर0सी0प्रपत्र 19 पर प्रेषित आख्या दिनांक 14.10.2024 के आधार पर योजित हुआ। लेखपाल की आख्यानुसार प्रतिवादी मुर्तजा पुत्र बशीर निवासी ताशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा ग्राम के गाटा संख्या 271/0.2040हे0 (जोहड), में से 0.0090हे0 पर पक्का मकान बनाकर अवैध अध्यासन मे कर लिया है, जिससे ग्राम समाज की भूमि को क्षति पहुॅचाई है। जिसे प्रतिवादी को बेदखल कर क्षतिपूर्ति वसूली जाये।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर, प्रतिपक्ष को आर0सी0प्रपत्र 20 जारी किया गया नोटिस तामील के उपरान्त विपक्षी की ओर से आपत्ति दाखिल की गई । ग्राम सभा की ओर से लेखपाल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान अंकित कराया गया। जिसमें उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट को तसदीक किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता पिछली कई नियत तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई के अवसार प्रदान किये गये। जिसके उपरान्त भी प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता अनुपस्थित। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता आपत्ति चलाने में रूची नही रखते है। अतः उक्त आपत्ति को निरस्त किया जाता है।

ग्राम सभा की ओर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व देवबन्द को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से स्पष्ट है कि वर्णित भूमि ग्राम समाज की भूमि है जिसपर प्रतिवादी का अनाधिकार कब्जा सिद्ध है। जिससे विपक्षी को बेदखल किया जाना न्यायोचित है।

अतः उ0प्र0रा0संहिता 2006 की धारा 67 मे प्रदत्त प्राविधानो के अनुक्रम मे शास्तियां आरोपित की जाती है।

आदेश

वर्णित विवेचना के आलोक मे आर0सी0प्रपत्र 20 दिनांक 17.04.2025 की पुष्टि की जाती है। ग्राम ताशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के गाटा संख्या 271 रकबा 0.0090हे0 (जोहड) की भूमि से प्रतिवादी मुर्तजा पुत्र बशीर निवासी तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर को बेदखल किया जाता है तथा विपक्षी पर अंकन 243000/-रूपये क्षतिपूर्ति एवं निष्पादन शुल्क 4000/ रूपये आयत किया जाता है। नोटिस आर0सी0प्रपत्र 21 उ0प्र0रा0संहिता 2006 निर्गत होवे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखालय मे संचित होवें

दिनांकः

सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार

देवबन्द।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :सहारनपुर , जनपद :सहारनपुर , तहसील :देवबन्द
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202409600406000
वाद संख्या:- 6000/2024
ग्राम सभा बनाम अरशद, रियासत
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 10/04/2026

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम तशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा आर0सी0प्रपत्र 19 पर प्रेषित आख्या दिनांक 14.10.2024 के आधार पर योजित हुआ। लेखपाल की आख्यानुसार प्रतिवादी अरशद व रियासत पुत्रगण ताहिर निवासी ताशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा ग्राम के गाटा संख्या 271/0.2040हे0 (जोहड), में से 0.0056हे0 पर पक्का मकान बनाकर अवैध अध्यासन मे कर लिया है, जिससे ग्राम समाज की भूमि को क्षति पहुॅचाई है। जिसे प्रतिवादी को बेदखल कर क्षतिपूर्ति वसूली जाये।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर, प्रतिपक्ष को आर0सी0प्रपत्र 20 जारी किया गया नोटिस तामील के उपरान्त विपक्षी की ओर से आपत्ति दाखिल की गई । ग्राम सभा की ओर से लेखपाल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान अंकित कराया गया। जिसमें उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट को तसदीक किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता पिछली कई नियत तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई के अवसार प्रदान किये गये। जिसके उपरान्त भी प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता अनुपस्थित। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता आपत्ति चलाने में रूची नही रखते है। अतः उक्त आपत्ति को निरस्त किया जाता है।

ग्राम सभा की ओर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व देवबन्द को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से स्पष्ट है कि वर्णित भूमि ग्राम समाज की भूमि है जिसपर प्रतिवादी का अनाधिकार कब्जा सिद्ध है। जिससे विपक्षी को बेदखल किया जाना न्यायोचित है।

अतः उ0प्र0रा0संहिता 2006 की धारा 67 मे प्रदत्त प्राविधानो के अनुक्रम मे शास्तियां आरोपित की जाती है।

आदेश

वर्णित विवेचना के आलोक मे आर0सी0प्रपत्र 20 दिनांक 17.04.2025 की पुष्टि की जाती है। ग्राम ताशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के गाटा संख्या 271 रकबा 0.0056हे0 (जोहड) की भूमि से प्रतिवादी अरशद व रियासत पुत्रगण ताहिर निवासी तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर को बेदखल किया जाता है तथा विपक्षी पर अंकन 131040/-रूपये क्षतिपूर्ति एवं निष्पादन शुल्क 4000/ रूपये आयत किया जाता है। नोटिस आर0सी0प्रपत्र 21 उ0प्र0रा0संहिता 2006 निर्गत होवे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखालय मे संचित होवें

दिनांकः

सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार

देवबन्द।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :सहारनपुर , जनपद :सहारनपुर , तहसील :देवबन्द
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202409600405999
वाद संख्या:- 5999/2024
ग्राम सभा बनाम आदिल
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 10/04/2026

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम तशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा आर0सी0प्रपत्र 19 पर प्रेषित आख्या दिनांक 14.10.2024 के आधार पर योजित हुआ। लेखपाल की आख्यानुसार प्रतिवादी अदिल पुत्र मुकददस निवासी ताशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा ग्राम के गाटा संख्या 271म/0.2040हे0 (जोहड) में से 0.0064हे0 पर पक्का मकान बनाकर अवैध अध्यासन मे कर लिया है, जिससे ग्राम समाज की भूमि को क्षति पहुॅचाई है। जिसे प्रतिवादी को बेदखल कर क्षतिपूर्ति वसूली जाये।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर, प्रतिपक्ष को आर0सी0प्रपत्र 20 जारी किया गया नोटिस तामील के उपरान्त विपक्षी की ओर से आपत्ति दाखिल की गई । ग्राम सभा की ओर से लेखपाल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान अंकित कराया गया। जिसमें उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट को तसदीक किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता पिछली कई नियत तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई के अवसार प्रदान किये गये। जिसके उपरान्त भी प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता अनुपस्थित। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता आपत्ति चलाने में रूची नही रखते है। अतः उक्त आपत्ति को निरस्त किया जाता है।

ग्राम सभा की ओर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व देवबन्द को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से स्पष्ट है कि वर्णित भूमि ग्राम समाज की भूमि है जिसपर प्रतिवादी का अनाधिकार कब्जा सिद्ध है। जिससे विपक्षी को बेदखल किया जाना न्यायोचित है।

अतः उ0प्र0रा0संहिता 2006 की धारा 67 मे प्रदत्त प्राविधानो के अनुक्रम मे शास्तियां आरोपित की जाती है।

आदेश

वर्णित विवेचना के आलोक मे आर0सी0प्रपत्र 20 दिनांक 17.04.2025 की पुष्टि की जाती है। ग्राम ताशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के गाटा संख्या 271 रकबा 0.0085हे0 (जोहड) की भूमि से प्रतिवादी अदिल पुत्र मुकददस निवासी तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर को बेदखल किया जाता है तथा विपक्षी पर अंकन 217000/-रूपये क्षतिपूर्ति एवं निष्पादन शुल्क 4000/ रूपये आयत किया जाता है। नोटिस आर0सी0प्रपत्र 21 उ0प्र0रा0संहिता 2006 निर्गत होवे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखालय मे संचित होवें

दिनांकः

सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार

देवबन्द।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :सहारनपुर , जनपद :सहारनपुर , तहसील :देवबन्द
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202409600405998
वाद संख्या:- 5998/2024
ग्राम सभा बनाम इरफान
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 10/04/2026

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम तशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा आर0सी0प्रपत्र 19 पर प्रेषित आख्या दिनांक 14.10.2024 के आधार पर योजित हुआ। लेखपाल की आख्यानुसार प्रतिवादी इरफान पुत्र गालिब निवासी ताशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा ग्राम के गाटा संख्या 271/0.2040हे0 (जोहड) में से 0.0085हे0 पर पक्का मकान बनाकर अवैध अध्यासन मे कर लिया है, जिससे ग्राम समाज की भूमि को क्षति पहुॅचाई है। जिसे प्रतिवादी को बेदखल कर क्षतिपूर्ति वसूली जाये।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर, प्रतिपक्ष को आर0सी0प्रपत्र 20 जारी किया गया नोटिस तामील के उपरान्त विपक्षी की ओर से आपत्ति दाखिल की गई । ग्राम सभा की ओर से लेखपाल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान अंकित कराया गया। जिसमें उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट को तसदीक किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता पिछली कई नियत तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई के अवसार प्रदान किये गये। जिसके उपरान्त भी प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता अनुपस्थित। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता आपत्ति चलाने में रूची नही रखते है। अतः उक्त आपत्ति को निरस्त किया जाता है।

ग्राम सभा की ओर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व देवबन्द को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से स्पष्ट है कि वर्णित भूमि ग्राम समाज की भूमि है जिसपर प्रतिवादी का अनाधिकार कब्जा सिद्ध है। जिससे विपक्षी को बेदखल किया जाना न्यायोचित है।

अतः उ0प्र0रा0संहिता 2006 की धारा 67 मे प्रदत्त प्राविधानो के अनुक्रम मे शास्तियां आरोपित की जाती है।

आदेश

वर्णित विवेचना के आलोक मे आर0सी0प्रपत्र 20 दिनांक 14.10.2024 की पुष्टि की जाती है। ग्राम ताशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के गाटा संख्या 271 रकबा 0.0085हे0 (जोहड) की भूमि से प्रतिवादी इरफान पुत्र गालिब निवासी तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर को बेदखल किया जाता है तथा विपक्षी पर अंकन 265050/-रूपये क्षतिपूर्ति एवं निष्पादन शुल्क 4000/ रूपये आयत किया जाता है। नोटिस आर0सी0प्रपत्र 21 उ0प्र0रा0संहिता 2006 निर्गत होवे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखालय मे संचित होवें

दिनांकः

सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार

देवबन्द।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :सहारनपुर , जनपद :सहारनपुर , तहसील :देवबन्द
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202409600405997
वाद संख्या:- 5997/2024
ग्राम सभा बनाम अब्दुल रउफ
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 10/04/2026

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम तशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा आर0सी0प्रपत्र 19 पर प्रेषित आख्या दिनांक 14.10.2024 के आधार पर योजित हुआ। लेखपाल की आख्यानुसार प्रतिवादी अब्दुल रऊफ पुत्र इसरार निवासी ताशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा ग्राम के गाटा संख्या 271/0.2040हे0 (जोहड), में से 0.0059हे0 पर पक्का मकान बनाकर अवैध अध्यासन मे कर लिया है, जिससे ग्राम समाज की भूमि को क्षति पहुॅचाई है। जिसे प्रतिवादी को बेदखल कर क्षतिपूर्ति वसूली जाये।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर, प्रतिपक्ष को आर0सी0प्रपत्र 20 जारी किया गया नोटिस तामील के उपरान्त विपक्षी की ओर से आपत्ति दाखिल की गई । ग्राम सभा की ओर से लेखपाल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान अंकित कराया गया। जिसमें उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट को तसदीक किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता पिछली कई नियत तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई के अवसार प्रदान किये गये। जिसके उपरान्त भी प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता अनुपस्थित। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता आपत्ति चलाने में रूची नही रखते है। अतः उक्त आपत्ति को निरस्त किया जाता है।

ग्राम सभा की ओर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व देवबन्द को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से स्पष्ट है कि वर्णित भूमि ग्राम समाज की भूमि है जिसपर प्रतिवादी का अनाधिकार कब्जा सिद्ध है। जिससे विपक्षी को बेदखल किया जाना न्यायोचित है।

अतः उ0प्र0रा0संहिता 2006 की धारा 67 मे प्रदत्त प्राविधानो के अनुक्रम मे शास्तियां आरोपित की जाती है।

आदेश

वर्णित विवेचना के आलोक मे आर0सी0प्रपत्र 20 दिनांक 17.04.2025 की पुष्टि की जाती है। ग्राम ताशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के गाटा संख्या 271 रकबा 0.0059हे0 (जोहड) की भूमि से प्रतिवादी अब्दुल रऊफ पुत्र इसरार निवासी तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर को बेदखल किया जाता है तथा विपक्षी पर अंकन 164610/-रूपये क्षतिपूर्ति एवं निष्पादन शुल्क 4000/ रूपये आयत किया जाता है। नोटिस आर0सी0प्रपत्र 21 उ0प्र0रा0संहिता 2006 निर्गत होवे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखालय मे संचित होवें

दिनांकः

सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार

देवबन्द।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :सहारनपुर , जनपद :सहारनपुर , तहसील :देवबन्द
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202409600405996
वाद संख्या:- 5996/2024
ग्राम सभा बनाम मुस्तकीम
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 10/04/2026

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम तशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा आर0सी0प्रपत्र 19 पर प्रेषित आख्या दिनांक 14.10.2024 के आधार पर योजित हुआ। लेखपाल की आख्यानुसार प्रतिवादी मुस्तकीम पुत्र गफूर निवासी ताशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा ग्राम के गाटा संख्या 271/0.2040हे0 (जोहड) में से 0.0112हे0, पर पक्का मकान बनाकर अवैध अध्यासन मे कर लिया है, जिससे ग्राम समाज की भूमि को क्षति पहुॅचाई है। जिसे प्रतिवादी को बेदखल कर क्षतिपूर्ति वसूली जाये।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर, प्रतिपक्ष को आर0सी0प्रपत्र 20 जारी किया गया नोटिस तामील के उपरान्त विपक्षी की ओर से आपत्ति दाखिल की गई । ग्राम सभा की ओर से लेखपाल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान अंकित कराया गया। जिसमें उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट को तसदीक किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता पिछली कई नियत तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई के अवसार प्रदान किये गये। जिसके उपरान्त भी प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता अनुपस्थित। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता आपत्ति चलाने में रूची नही रखते है। अतः उक्त आपत्ति को निरस्त किया जाता है।

ग्राम सभा की ओर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व देवबन्द को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से स्पष्ट है कि वर्णित भूमि ग्राम समाज की भूमि है जिसपर प्रतिवादी का अनाधिकार कब्जा सिद्ध है। जिससे विपक्षी को बेदखल किया जाना न्यायोचित है।

अतः उ0प्र0रा0संहिता 2006 की धारा 67 मे प्रदत्त प्राविधानो के अनुक्रम मे शास्तियां आरोपित की जाती है।

आदेश

वर्णित विवेचना के आलोक मे आर0सी0प्रपत्र 20 दिनांक 17.04.2025 की पुष्टि की जाती है। ग्राम ताशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के गाटा संख्या 271 रकबा 0.0112हे0 (जोहड) की भूमि से प्रतिवादी मुस्तकीम पुत्र गफूर निवासी तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर को बेदखल किया जाता है तथा विपक्षी पर अंकन 302400/-रूपये क्षतिपूर्ति एवं निष्पादन शुल्क 4000/ रूपये आयत किया जाता है। नोटिस आर0सी0प्रपत्र 21 उ0प्र0रा0संहिता 2006 निर्गत होवे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखालय मे संचित होवें

दिनांकः

सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार

देवबन्द।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :सहारनपुर , जनपद :सहारनपुर , तहसील :देवबन्द
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202409600405995
वाद संख्या:- 5995/2024
ग्राम सभा बनाम शहजाद, शाहबान,इस्तखार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 10/04/2026

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम तशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा आर0सी0प्रपत्र 19 पर प्रेषित आख्या दिनांक 14.10.2024 के आधार पर योजित हुआ। लेखपाल की आख्यानुसार प्रतिवादी शहजाद, शाहबाज, इस्तखार पुत्रगण मुर्तजा निवासी ताशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा ग्राम के गाटा संख्या 271/0.2040हे0 (जोहड), में से 0.0099हे0 पर पक्का मकान बनाकर अवैध अध्यासन मे कर लिया है, जिससे ग्राम समाज की भूमि को क्षति पहुँचाई है। जिसे प्रतिवादी को बेदखल कर क्षतिपूर्ति वसूली जाये।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर, प्रतिपक्ष को आर0सी0प्रपत्र 20 जारी किया गया नोटिस तामील के उपरान्त विपक्षी की ओर से आपत्ति दाखिल की गई । ग्राम सभा की ओर से लेखपाल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान अंकित कराया गया। जिसमें उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट को तसदीक किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता पिछली कई नियत तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई के अवसार प्रदान किये गये। जिसके उपरान्त भी प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता अनुपस्थित। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता आपत्ति चलाने में रूची नही रखते है। अतः उक्त आपत्ति को निरस्त किया जाता है।

ग्राम सभा की ओर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व देवबन्द को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से स्पष्ट है कि वर्णित भूमि ग्राम समाज की भूमि है जिसपर प्रतिवादी का अनाधिकार कब्जा सिद्ध है। जिससे विपक्षी को बेदखल किया जाना न्यायोचित है।

अतः उ0प्र0रा0संहिता 2006 की धारा 67 मे प्रदत्त प्राविधानो के अनुक्रम मे शास्तियां आरोपित की जाती है।

आदेश

वर्णित विवेचना के आलोक मे आर0सी0प्रपत्र 20 दिनांक 17.04.2025 की पुष्टि की जाती है। ग्राम ताशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के गाटा संख्या 271 रकबा 0.0099हे0 (जोहड) की भूमि से प्रतिवादी शहजाद, शाहबाज व इस्तखार पुत्रगण मुर्तजा निवासी तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर को बेदखल किया जाता है तथा विपक्षी पर अंकन 267000/-रूपये क्षतिपूर्ति एवं निष्पादन शुल्क 4000/ रूपये आयत किया जाता है। नोटिस आर0सी0प्रपत्र 21 उ0प्र0रा0संहिता 2006 निर्गत होवे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखालय मे संचित होवें

दिनांकः

सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार

देवबन्द।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :सहारनपुर , जनपद :सहारनपुर , तहसील :देवबन्द
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202409600405994
वाद संख्या:- 5994/2024
ग्राम सभा बनाम साजिद
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 10/04/2026

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम तशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा आर0सी0प्रपत्र 19 पर प्रेषित आख्या दिनांक 14.10.2024 के आधार पर योजित हुआ। लेखपाल की आख्यानुसार प्रतिवादी साजिद पुत्र काजिम निवासी ताशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा ग्राम के गाटा संख्या 271/0.2040हे0 (जोहड), 272/0.0200हे0 (गोयरा) में से 0.0031हे0, 0.0079हे0 पर पक्का मकान बनाकर अवैध अध्यासन मे कर लिया है, जिससे ग्राम समाज की भूमि को क्षति पहुॅचाई है। जिसे प्रतिवादी को बेदखल कर क्षतिपूर्ति वसूली जाये।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर, प्रतिपक्ष को आर0सी0प्रपत्र 20 जारी किया गया नोटिस तामील के उपरान्त विपक्षी की ओर से आपत्ति दाखिल की गई । ग्राम सभा की ओर से लेखपाल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान अंकित कराया गया। जिसमें उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट को तसदीक किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता पिछली कई नियत तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई के अवसार प्रदान किये गये। जिसके उपरान्त भी प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता अनुपस्थित। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता आपत्ति चलाने में रूची नही रखते है। अतः उक्त आपत्ति को निरस्त किया जाता है।

ग्राम सभा की ओर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व देवबन्द को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से स्पष्ट है कि वर्णित भूमि ग्राम समाज की भूमि है जिसपर प्रतिवादी का अनाधिकार कब्जा सिद्ध है। जिससे विपक्षी को बेदखल किया जाना न्यायोचित है।

अतः उ0प्र0रा0संहिता 2006 की धारा 67 मे प्रदत्त प्राविधानो के अनुक्रम मे शास्तियां आरोपित की जाती है।

आदेश

वर्णित विवेचना के आलोक मे आर0सी0प्रपत्र 20 दिनांक 17.04.2025 की पुष्टि की जाती है। ग्राम ताशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के गाटा संख्या 271, 272 रकबा 0.0110हे0 (जोहड/गायेरा) की भूमि से प्रतिवादी साजिद पुत्र काजिम निवासी तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर को बेदखल किया जाता है तथा विपक्षी पर अंकन 306900/-रूपये क्षतिपूर्ति एवं निष्पादन शुल्क 4000/ रूपये आयत किया जाता है। नोटिस आर0सी0प्रपत्र 21 उ0प्र0रा0संहिता 2006 निर्गत होवे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखालय मे संचित होवें

दिनांकः

सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार

देवबन्द।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :सहारनपुर , जनपद :सहारनपुर , तहसील :देवबन्द
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202409600405993
वाद संख्या:- 5993/2024
ग्राम सभा बनाम जहांगीर
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 10/04/2026

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम तशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा आर0सी0प्रपत्र 19 पर प्रेषित आख्या दिनांक 14.10.2024 के आधार पर योजित हुआ। लेखपाल की आख्यानुसार प्रतिवादी जहॉगीर पुत्र मुकददस निवासी ताशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा ग्राम के गाटा संख्या 271/0.2040हे0 (जोहड), में से 0.0114हे0 पर पक्का मकान बनाकर अवैध अध्यासन मे कर लिया है, जिससे ग्राम समाज की भूमि को क्षति पहुॅचाई है। जिसे प्रतिवादी को बेदखल कर क्षतिपूर्ति वसूली जाये।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर, प्रतिपक्ष को आर0सी0प्रपत्र 20 जारी किया गया नोटिस तामील के उपरान्त विपक्षी की ओर से आपत्ति दाखिल की गई । ग्राम सभा की ओर से लेखपाल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान अंकित कराया गया। जिसमें उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट को तसदीक किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता पिछली कई नियत तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई के अवसार प्रदान किये गये। जिसके उपरान्त भी प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता अनुपस्थित। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता आपत्ति चलाने में रूची नही रखते है। अतः उक्त आपत्ति को निरस्त किया जाता है।

ग्राम सभा की ओर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व देवबन्द को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से स्पष्ट है कि वर्णित भूमि ग्राम समाज की भूमि है जिसपर प्रतिवादी का अनाधिकार कब्जा सिद्ध है। जिससे विपक्षी को बेदखल किया जाना न्यायोचित है।

अतः उ0प्र0रा0संहिता 2006 की धारा 67 मे प्रदत्त प्राविधानो के अनुक्रम मे शास्तियां आरोपित की जाती है।

आदेश

वर्णित विवेचना के आलोक मे आर0सी0प्रपत्र 20 दिनांक 17.04.2025 की पुष्टि की जाती है। ग्राम ताशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के गाटा संख्या 271 रकबा 0.0114हे0 (जोहड) की भूमि से प्रतिवादी जहॉगीर पुत्र मुकददस निवासी तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर को बेदखल किया जाता है तथा विपक्षी पर अंकन 359100/-रूपये क्षतिपूर्ति एवं निष्पादन शुल्क 4000/ रूपये आयत किया जाता है। नोटिस आर0सी0प्रपत्र 21 उ0प्र0रा0संहिता 2006 निर्गत होवे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखालय मे संचित होवें

दिनांकः

सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार

देवबन्द।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :सहारनपुर , जनपद :सहारनपुर , तहसील :देवबन्द
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202409600405992
वाद संख्या:- 5992/2024
ग्राम सभा बनाम सनव्वर
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 10/04/2026

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम तशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा आर0सी0प्रपत्र 19 पर प्रेषित आख्या दिनांक 14.10.2024 के आधार पर योजित हुआ। लेखपाल की आख्यानुसार प्रतिवादी सनव्वर पुत्र कुरबान निवासी ताशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा ग्राम के गाटा संख्या 271/0.2040हे0 (जोहड), 272/0.0200हे (गोयरा) में से 0.0200हे0, 0.0320हे0 पर पक्का मकान बनाकर अवैध अध्यासन मे कर लिया है, जिससे ग्राम समाज की भूमि को क्षति पहुॅचाई है। जिसे प्रतिवादी को बेदखल कर क्षतिपूर्ति वसूली जाये।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर, प्रतिपक्ष को आर0सी0प्रपत्र 20 जारी किया गया नोटिस तामील के उपरान्त विपक्षी की ओर से आपत्ति दाखिल की गई । ग्राम सभा की ओर से लेखपाल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान अंकित कराया गया। जिसमें उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट को तसदीक किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता पिछली कई नियत तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई के अवसार प्रदान किये गये। जिसके उपरान्त भी प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता अनुपस्थित। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता आपत्ति चलाने में रूची नही रखते है। अतः उक्त आपत्ति को निरस्त किया जाता है।

ग्राम सभा की ओर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व देवबन्द को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से स्पष्ट है कि वर्णित भूमि ग्राम समाज की भूमि है जिसपर प्रतिवादी का अनाधिकार कब्जा सिद्ध है। जिससे विपक्षी को बेदखल किया जाना न्यायोचित है।

अतः उ0प्र0रा0संहिता 2006 की धारा 67 मे प्रदत्त प्राविधानो के अनुक्रम मे शास्तियां आरोपित की जाती है।

आदेश

वर्णित विवेचना के आलोक मे आर0सी0प्रपत्र 20 दिनांक 17.04.2025 की पुष्टि की जाती है। ग्राम ताशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के गाटा संख्या 271 रकबा 0.0200हे0 (जोहड) व खसरा न0 272 रकबा 0.0320हे0 (गोयरा) की भूमि से प्रतिवादी सनव्वर पुत्र कुरबान निवासी तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर को बेदखल किया जाता है तथा विपक्षी पर अंकन 234000/-रूपये क्षतिपूर्ति एवं निष्पादन शुल्क 4000/ रूपये आयत किया जाता है। नोटिस आर0सी0प्रपत्र 21 उ0प्र0रा0संहिता 2006 निर्गत होवे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखालय मे संचित होवें

दिनांकः

सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार

देवबन्द।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :सहारनपुर , जनपद :सहारनपुर , तहसील :देवबन्द
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202409600405991
वाद संख्या:- 5991/2024
ग्राम सभा बनाम इमरान, इनाम, इसरार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 10/04/2026

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम तशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा आर0सी0प्रपत्र 19 पर प्रेषित आख्या दिनांक 14.10.2024 के आधार पर योजित हुआ। लेखपाल की आख्यानुसार प्रतिवादी इमरान, इनाम, इसरार पुत्रगण आबुल हसन निवासी ताशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा ग्राम के गाटा संख्या 273/0.1740हे0 (जोहड), 271/0.2040हे0 में से 0.0773हे0, 0.0173हे0 पर पक्का मकान बनाकर अवैध अध्यासन मे कर लिया है, जिससे ग्राम समाज की भूमि को क्षति पहुँचाई है। जिसे प्रतिवादी को बेदखल कर क्षतिपूर्ति वसूली जाये।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर, प्रतिपक्ष को आर0सी0प्रपत्र 20 जारी किया गया नोटिस तामील के उपरान्त विपक्षी की ओर से आपत्ति दाखिल की गई । ग्राम सभा की ओर से लेखपाल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान अंकित कराया गया। जिसमें उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट को तसदीक किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता पिछली कई नियत तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई के अवसार प्रदान किये गये। जिसके उपरान्त भी प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता अनुपस्थित। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता आपत्ति चलाने में रूची नही रखते है। अतः उक्त आपत्ति को निरस्त किया जाता है।

ग्राम सभा की ओर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व देवबन्द को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से स्पष्ट है कि वर्णित भूमि ग्राम समाज की भूमि है जिसपर प्रतिवादी का अनाधिकार कब्जा सिद्ध है। जिससे विपक्षी को बेदखल किया जाना न्यायोचित है।

अतः उ0प्र0रा0संहिता 2006 की धारा 67 मे प्रदत्त प्राविधानो के अनुक्रम मे शास्तियां आरोपित की जाती है।

आदेश

वर्णित विवेचना के आलोक मे आर0सी0प्रपत्र 20 दिनांक 17.04.2025 की पुष्टि की जाती है। ग्राम ताशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के गाटा संख्या 271,273 रकबा 0.0946हे0 (जोहड) की भूमि से प्रतिवादी इमरान, इनाम, इसरार पुत्रगण आबुल हसन निवासी तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर को बेदखल किया जाता है तथा विपक्षी पर अंकन 170280/-रूपये क्षतिपूर्ति एवं निष्पादन शुल्क 4000/ रूपये आयत किया जाता है। नोटिस आर0सी0प्रपत्र 21 उ0प्र0रा0संहिता 2006 निर्गत होवे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखालय मे संचित होवें

दिनांकः

सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार

देवबन्द।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :सहारनपुर , जनपद :सहारनपुर , तहसील :देवबन्द
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202409600405990
वाद संख्या:- 5990/2024
ग्राम सभा बनाम दिलशाद
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 10/04/2026

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम तशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा आर0सी0प्रपत्र 19 पर प्रेषित आख्या दिनांक 14.10.2024 के आधार पर योजित हुआ। लेखपाल की आख्यानुसार प्रतिवादी दिलशाद पुत्र यामीन निवासी ताशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा ग्राम के गाटा संख्या 273/0.1740हे0 (जोहड), में से 0.0092हे0 पर पक्का मकान बनाकर अवैध अध्यासन मे कर लिया है, जिससे ग्राम समाज की भूमि को क्षति पहुॅचाई है। जिसे प्रतिवादी को बेदखल कर क्षतिपूर्ति वसूली जाये।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर, प्रतिपक्ष को आर0सी0प्रपत्र 20 जारी किया गया नोटिस तामील के उपरान्त विपक्षी की ओर से आपत्ति दाखिल की गई । ग्राम सभा की ओर से लेखपाल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान अंकित कराया गया। जिसमें उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट को तसदीक किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता पिछली कई नियत तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई के अवसार प्रदान किये गये। जिसके उपरान्त भी प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता अनुपस्थित। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता आपत्ति चलाने में रूची नही रखते है। अतः उक्त आपत्ति को निरस्त किया जाता है।

ग्राम सभा की ओर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व देवबन्द को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से स्पष्ट है कि वर्णित भूमि ग्राम समाज की भूमि है जिसपर प्रतिवादी का अनाधिकार कब्जा सिद्ध है। जिससे विपक्षी को बेदखल किया जाना न्यायोचित है।

अतः उ0प्र0रा0संहिता 2006 की धारा 67 मे प्रदत्त प्राविधानो के अनुक्रम मे शास्तियां आरोपित की जाती है।

आदेश

वर्णित विवेचना के आलोक मे आर0सी0प्रपत्र 20 दिनांक 17.04.2025 की पुष्टि की जाती है। ग्राम ताशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के गाटा संख्या 273 रकबा 0.0092हे0 (जोहड) की भूमि से प्रतिवादी दिलशाद पुत्र यामीन निवासी तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर को बेदखल किया जाता है तथा विपक्षी पर अंकन 215280/-रूपये क्षतिपूर्ति एवं निष्पादन शुल्क 4000/ रूपये आयत किया जाता है। नोटिस आर0सी0प्रपत्र 21 उ0प्र0रा0संहिता 2006 निर्गत होवे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखालय मे संचित होवें

दिनांकः

सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार

देेवबन्द।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :सहारनपुर , जनपद :सहारनपुर , तहसील :देवबन्द
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202409600405989
वाद संख्या:- 5989/2024
ग्राम सभा बनाम मुकर्रम
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 10/04/2026

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम तशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा आर0सी0प्रपत्र 19 पर प्रेषित आख्या दिनांक 14.10.2024 के आधार पर योजित हुआ। लेखपाल की आख्यानुसार प्रतिवादी मुर्करम पुत्र मौ0 उमर निवासी ताशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा ग्राम के गाटा संख्या 273/0.1740हे0 (जोहड) में से 0.0190हे0 पर पक्का मकान बनाकर अवैध अध्यासन मे कर लिया है, जिससे ग्राम समाज की भूमि को क्षति पहुँचाई है। जिसे प्रतिवादी को बेदखल कर क्षतिपूर्ति वसूली जाये।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर, प्रतिपक्ष को आर0सी0प्रपत्र 20 जारी किया गया नोटिस तामील के उपरान्त विपक्षी की ओर से आपत्ति दाखिल की गई । ग्राम सभा की ओर से लेखपाल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान अंकित कराया गया। जिसमें उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट को तसदीक किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता पिछली कई नियत तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई के अवसार प्रदान किये गये। जिसके उपरान्त भी प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता अनुपस्थित। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता आपत्ति चलाने में रूची नही रखते है। अतः उक्त आपत्ति को निरस्त किया जाता है।

ग्राम सभा की ओर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व देवबन्द को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से स्पष्ट है कि वर्णित भूमि ग्राम समाज की भूमि है जिसपर प्रतिवादी का अनाधिकार कब्जा सिद्ध है। जिससे विपक्षी को बेदखल किया जाना न्यायोचित है।

अतः उ0प्र0रा0संहिता 2006 की धारा 67 मे प्रदत्त प्राविधानो के अनुक्रम मे शास्तियां आरोपित की जाती है।

आदेश

वर्णित विवेचना के आलोक मे आर0सी0प्रपत्र 20 दिनांक 17.04.2025 की पुष्टि की जाती है। ग्राम ताशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के गाटा संख्या 273 रकबा 0.0190हे0 (जोहड) की भूमि से प्रतिवादी मुकर्रम पुत्र मौ0 उमर निवासी तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर को बेदखल किया जाता है तथा विपक्षी पर अंकन 444600/-रूपये क्षतिपूर्ति एवं निष्पादन शुल्क 4000/ रूपये आयत किया जाता है। नोटिस आर0सी0प्रपत्र 21 उ0प्र0रा0संहिता 2006 निर्गत होवे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखालय मे संचित होवें

दिनांकः

सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार

देवबन्द।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :सहारनपुर , जनपद :सहारनपुर , तहसील :देवबन्द
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202409600405988
वाद संख्या:- 5988/2024
ग्राम सभा बनाम सलीम
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 10/04/2026

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम तशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा आर0सी0प्रपत्र 19 पर प्रेषित आख्या दिनांक 14.10.2024 के आधार पर योजित हुआ। लेखपाल की आख्यानुसार प्रतिवादी सलीम पुत्र मौहम्मद निवासी ताशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा ग्राम के गाटा संख्या 273/0.1740हे0 में से 0.0041हे0 पर पक्का मकान बनाकर अवैध अध्यासन मे कर लिया है, जिससे ग्राम समाज की भूमि को क्षति पहुॅचाई है। जिसे प्रतिवादी को बेदखल कर क्षतिपूर्ति वसूली जाये।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर, प्रतिपक्ष को आर0सी0प्रपत्र 20 जारी किया गया नोटिस तामील के उपरान्त विपक्षी की ओर से आपत्ति दाखिल की गई । ग्राम सभा की ओर से लेखपाल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान अंकित कराया गया। जिसमें उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट को तसदीक किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता पिछली कई नियत तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई के अवसार प्रदान किये गये। जिसके उपरान्त भी प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता अनुपस्थित। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता आपत्ति चलाने में रूची नही रखते है। अतः उक्त आपत्ति को निरस्त किया जाता है।

ग्राम सभा की ओर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व देवबन्द को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से स्पष्ट है कि वर्णित भूमि ग्राम समाज की भूमि है जिसपर प्रतिवादी का अनाधिकार कब्जा सिद्ध है। जिससे विपक्षी को बेदखल किया जाना न्यायोचित है।

अतः उ0प्र0रा0संहिता 2006 की धारा 67 मे प्रदत्त प्राविधानो के अनुक्रम मे शास्तियां आरोपित की जाती है।

आदेश

वर्णित विवेचना के आलोक मे आर0सी0प्रपत्र 20 दिनांक 17.04.2025 की पुष्टि की जाती है। ग्राम ताशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के गाटा संख्या 273 रकबा 0.0041हे0 (जोहड) की भूमि से प्रतिवादी सलीम पुत्र मौहम्मद निवासी तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर को बेदखल किया जाता है तथा विपक्षी पर अंकन 95940/-रूपये क्षतिपूर्ति एवं निष्पादन शुल्क 4000/ रूपये आयत किया जाता है। नोटिस आर0सी0प्रपत्र 21 उ0प्र0रा0संहिता 2006 निर्गत होवे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखालय मे संचित होवें

दिनांकः

सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार

देवबन्द।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :सहारनपुर , जनपद :सहारनपुर , तहसील :देवबन्द
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202409600405987
वाद संख्या:- 5987/2024
ग्राम सभा बनाम इमरान
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 10/04/2026

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम तशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा आर0सी0प्रपत्र 19 पर प्रेषित आख्या दिनांक 14.10.2024 के आधार पर योजित हुआ। लेखपाल की आख्यानुसार प्रतिवादी इमरान पुत्र मकसूद निवासी ताशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा ग्राम के गाटा संख्या 273/0.1740हे0 (जोहड), में से 0.0033हे0 पर पक्का मकान बनाकर अवैध अध्यासन मे कर लिया है, जिससे ग्राम समाज की भूमि को क्षति पहुॅचाई है। जिसे प्रतिवादी को बेदखल कर क्षतिपूर्ति वसूली जाये।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर, प्रतिपक्ष को आर0सी0प्रपत्र 20 जारी किया गया नोटिस तामील के उपरान्त विपक्षी की ओर से आपत्ति दाखिल की गई । ग्राम सभा की ओर से लेखपाल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान अंकित कराया गया। जिसमें उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट को तसदीक किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता पिछली कई नियत तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई के अवसार प्रदान किये गये। जिसके उपरान्त भी प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता अनुपस्थित। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता आपत्ति चलाने में रूची नही रखते है। अतः उक्त आपत्ति को निरस्त किया जाता है।

ग्राम सभा की ओर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व देवबन्द को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से स्पष्ट है कि वर्णित भूमि ग्राम समाज की भूमि है जिसपर प्रतिवादी का अनाधिकार कब्जा सिद्ध है। जिससे विपक्षी को बेदखल किया जाना न्यायोचित है।

अतः उ0प्र0रा0संहिता 2006 की धारा 67 मे प्रदत्त प्राविधानो के अनुक्रम मे शास्तियां आरोपित की जाती है।

आदेश

वर्णित विवेचना के आलोक मे आर0सी0प्रपत्र 20 दिनांक 17.04.2025 की पुष्टि की जाती है। ग्राम ताशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के गाटा संख्या 273 रकबा 0.0033हे0 (जोहड) की भूमि से प्रतिवादी इमरान पुत्र मकसूद निवासी तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर को बेदखल किया जाता है तथा विपक्षी पर अंकन 77220/-रूपये क्षतिपूर्ति एवं निष्पादन शुल्क 4000/ रूपये आयत किया जाता है। नोटिस आर0सी0प्रपत्र 21 उ0प्र0रा0संहिता 2006 निर्गत होवे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखालय मे संचित होवें

दिनांकः

सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार

देवबन्द।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :सहारनपुर , जनपद :सहारनपुर , तहसील :देवबन्द
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202409600405986
वाद संख्या:- 5986/2024
ग्राम सभा बनाम अरशद
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 10/04/2026

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम तशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा आर0सी0प्रपत्र 19 पर प्रेषित आख्या दिनांक 14.10.2024 के आधार पर योजित हुआ। लेखपाल की आख्यानुसार प्रतिवादी अरशद पुत्र यामीन निवासी ताशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा ग्राम के गाटा संख्या 273/0.1740हे0 (जोहड) में से 0.0053हे0 पर पक्का मकान बनाकर अवैध अध्यासन मे कर लिया है, जिससे ग्राम समाज की भूमि को क्षति पहुॅचाई है। जिसे प्रतिवादी को बेदखल कर क्षतिपूर्ति वसूली जाये।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर, प्रतिपक्ष को आर0सी0प्रपत्र 20 जारी किया गया नोटिस तामील के उपरान्त विपक्षी की ओर से आपत्ति दाखिल की गई । ग्राम सभा की ओर से लेखपाल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान अंकित कराया गया। जिसमें उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट को तसदीक किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता पिछली कई नियत तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई के अवसार प्रदान किये गये। जिसके उपरान्त भी प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता अनुपस्थित। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता आपत्ति चलाने में रूची नही रखते है। अतः उक्त आपत्ति को निरस्त किया जाता है।

ग्राम सभा की ओर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व देवबन्द को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से स्पष्ट है कि वर्णित भूमि ग्राम समाज की भूमि है जिसपर प्रतिवादी का अनाधिकार कब्जा सिद्ध है। जिससे विपक्षी को बेदखल किया जाना न्यायोचित है।

अतः उ0प्र0रा0संहिता 2006 की धारा 67 मे प्रदत्त प्राविधानो के अनुक्रम मे शास्तियां आरोपित की जाती है।

आदेश

वर्णित विवेचना के आलोक मे आर0सी0प्रपत्र 20 दिनांक 17.04.2025 की पुष्टि की जाती है। ग्राम ताशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के गाटा संख्या 271 रकबा 0.0085हे0 (जोहड) की भूमि से प्रतिवादी अरशद पुत्र यामीन निवासी तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर को बेदखल किया जाता है तथा विपक्षी पर अंकन 217000/-रूपये क्षतिपूर्ति एवं निष्पादन शुल्क 4000/ रूपये आयत किया जाता है। नोटिस आर0सी0प्रपत्र 21 उ0प्र0रा0संहिता 2006 निर्गत होवे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखालय मे संचित होवें

दिनांकः

सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार

देवबन्द।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :सहारनपुर , जनपद :सहारनपुर , तहसील :देवबन्द
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202409600405985
वाद संख्या:- 5985/2024
ग्राम सभा बनाम इरशाद
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 10/04/2026

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम तशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा आर0सी0प्रपत्र 19 पर प्रेषित आख्या दिनांक 14.10.2024 के आधार पर योजित हुआ। लेखपाल की आख्यानुसार प्रतिवादी इरशाद पुत्र यामीन निवासी ताशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा ग्राम के गाटा संख्या 273म/0.1740हे0 (जोहड) में से 0.0096हे0, पर पक्का मकान बनाकर अवैध अध्यासन मे कर लिया है, जिससे ग्राम समाज की भूमि को क्षति पहुॅचाई है। जिसे प्रतिवादी को बेदखल कर क्षतिपूर्ति वसूली जाये।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर, प्रतिपक्ष को आर0सी0प्रपत्र 20 जारी किया गया नोटिस तामील के उपरान्त विपक्षी की ओर से आपत्ति दाखिल की गई । ग्राम सभा की ओर से लेखपाल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान अंकित कराया गया। जिसमें उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट को तसदीक किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता पिछली कई नियत तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई के अवसार प्रदान किये गये। जिसके उपरान्त भी प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता अनुपस्थित। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता आपत्ति चलाने में रूची नही रखते है। अतः उक्त आपत्ति को निरस्त किया जाता है।

ग्राम सभा की ओर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व देवबन्द को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से स्पष्ट है कि वर्णित भूमि ग्राम समाज की भूमि है जिसपर प्रतिवादी का अनाधिकार कब्जा सिद्ध है। जिससे विपक्षी को बेदखल किया जाना न्यायोचित है।

अतः उ0प्र0रा0संहिता 2006 की धारा 67 मे प्रदत्त प्राविधानो के अनुक्रम मे शास्तियां आरोपित की जाती है।

आदेश

वर्णित विवेचना के आलोक मे आर0सी0प्रपत्र 20 दिनांक 17.04.2025 की पुष्टि की जाती है। ग्राम ताशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के गाटा संख्या 273 रकबा 0.0096हे0 (जोहड) की भूमि से प्रतिवादी इरशाद पुत्र यामीन निवासी तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर को बेदखल किया जाता है तथा विपक्षी पर अंकन 224640/-रूपये क्षतिपूर्ति एवं निष्पादन शुल्क 4000/ रूपये आयत किया जाता है। नोटिस आर0सी0प्रपत्र 21 उ0प्र0रा0संहिता 2006 निर्गत होवे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखालय मे संचित होवें

दिनांकः

सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार

देवबन्द।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :सहारनपुर , जनपद :सहारनपुर , तहसील :देवबन्द
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202409600405984
वाद संख्या:- 5984/2024
ग्राम सभा बनाम शहजाद, शाहनवाज, इखलास
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 04/04/2026

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम ताशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा आर0सी0प्रपत्र 19 पर प्रेषित आख्या दिनांक 14.10.2024 के आधार पर योजित हुआ। लेखपाल की आख्यानुसार प्रतिवादी शहजाद, शाहनवाज, इखलाख पुत्रगण शब्बीर निवासी तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द द्वारा ग्राम के गाटा संख्या 273म रकबा 0.1740हे0 में से 0.0071हे0 पर पक्का मकान बनाकर अवैध अध्यासन मे कर लिया है,जिससे ग्राम समाज की भूमि को क्षति पहुॅचाई है। जिसे प्रतिवादी को बेदखल कर क्षतिपूर्ति वसूली जाये।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर, प्रतिपक्ष को आर0सी0प्रपत्र 20 जारी किया गया। नोटिस तामील के उपरान्त भी विपक्षीगण की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नही की गई । ग्राम सभा की ओर से लेखपाल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान अंकित कराया गया। जिसमें उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट को तसदीक किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता लगातार अनुपस्थित है। प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई के अवसार प्रदान किये गये। जिसके उपरान्त भी प्रतिवादी/आपत्तिकर्ता अनुपस्थित। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी को आर0सी0प्रपत्र 20 स्वीकार है।

ग्राम सभा की ओर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व देवबन्द को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से स्पष्ट है कि वर्णित भूमि ग्राम समाज की भूमि है जिसपर प्रतिवादी का अनाधिकार कब्जा सिद्ध है। जिससे विपक्षी को बेदखल किया जाना न्यायोचित है।

अतः उ0प्र0रा0संहिता 2006 की धारा 67 मे प्रदत्त प्राविधानो के अनुक्रम मे शास्तियां आरोपित की जाती है।

आदेश

वर्णित विवेचना के आलोक मे ग्राम तांशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के गाटा संख्या 271म रकबा 0.0030हे0 से प्रतिवादी शहजाद, शाहनवाज, इखलाख पुत्रगण शब्बीर निवासी तांशीपुर मु0 परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर को बेदखल किया जाता है तथा विपक्षी पर अंकन 166140/-रूपये क्षतिपूर्ति एवं निष्पादन शुल्क 4000/- रूपये आयत किया जाता है। नोटिस आर0सी0प्रपत्र 21 उ0प्र0रा0संहिता 2006 निर्गत होवे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखालय मे संचित होवें

दिनांकः

सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार

देवबन्द।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

Printed at: 22-07-2026 01:43 PM

निरस्तीत

आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, प्रशासन
पीठासीन अधिकारी का नाम :- संतोष बहादुर सिंह
मण्डल :सहारनपुर,जनपद :सहारनपुर,तहसील :देवबन्द
वाद संख्या :-3658/2026
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D202609600003658
इमरान पुत्र आबुल हसन आदि बनाम सरकार आदि
अंतर्गत धारा:- 67(5), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

ग्राम तांशीपुर मु० पर० नागल
तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर

— नकल निर्णय दिनांक - 22/07/26

प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी श्री इमरान, इनाम, इसरार पुत्रगण आबुल हसन निवासीगण तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के द्वारा अवर न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार देवबन्द के आदेश दिनांक 10.04.2026 बाबत वाद संख्या टी202409600405991 ग्राम सभा तांशीपुर बनाम इमरान आदि अन्तर्गत धारा 67 उ0प्र0राजस्व संहिता 2006, से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी।

अपीलार्थीगण द्वारा अपनी अपील में मुख्य रूप से कहा है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 एकपक्षीय नियम व कानून के विपरीत है जो बिल्कुल खिलाफ कानून खिलाफ मौका एवं खिलाफ वाका होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अवर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 10.04.2026 पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को न तो साक्ष्य का अवसर दिया गया ओर न ही जिरह का अवसर प्रदान किया गया और न ही बहस सुनी गयी। अपीलार्थीगण के विरुद्ध बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकपक्षीय रूप से आदेश पारित किया गया है। अवर न्यायालय के द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत जाकर पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर तथा पूर्व से ही मन बनाकर बिना किसी आधार के त्रुटिपूर्ण आदेश पारित कर दिया है। अपीलार्थीगण को उपरोक्त नोटिस गांव की पार्टीबाजी के आधार पर सैयद मौहम्मद राशिद दूसरे गांव निवासी चहलौली द्वारा रंजिशन माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान पीठ नयी दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मौके की रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय से चाही गयी थी, जिस पर मौके की रिपोर्ट देने की बजाय व स्थल निरीक्षण किये बिना माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे अपनी छवि उत्तम दर्शाने के लिए अपीलार्थीगण सहित 18 व्यक्तियों को 67(1) के नोटिस जारी कर दिये हैं। अपीलार्थीगण का कोई कब्जा खसरा नम्बर 273 व 271 पर नही है। अपीलार्थी का मकान गांव की सामूहिक आबादी में बना हुआ पुशतैनी मकान है, जिस पर लेखपाल द्वारा गलत रूप से खसरा नम्बर 273 व 271 में मकान दर्शाया है। कोई मौके की पैमाइश नही की गयी है, न ही कोई उपस्थिति पत्र बनाया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही गुप चुप तरीके से लेखपाल द्वारा अपने दफ्तर में बैठकर की गयी है। उपरोक्त नोटिस व आदेश दिनाक 10.04.2026 कानून के विपरीत तीन व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कितने क्षेत्रफल पर कब्जा किया गया है, की गणना नही की गयी है। अपीलार्थीगण को खसरा नम्बर 273, 271 के सम्बन्ध में बेदखली का आदेश पारित किया गया है परन्तु उक्त खसरा नम्बरान की न तो कोई पैमाइश की गयी है, ना ही किस खसरा नम्बरान के कितने रकबे पर अतिक्रमण किया गया है, खसरा नम्बरान की न तो कोई पैमाइश की गयी है ना ही किस खसरा

क्रमशः दो पर ....

न्यायालय अपर कलेक्टर (प्र०) अपर जिला... सहारनपुर

Printed at: 22-07-2026 01:43 PM

आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, प्रशासन
पीठासीन अधिकारी का नाम :- संतोष बहादुर सिंह
मण्डल :सहारनपुर,जनपद :सहारनपुर,तहसील :देवबन्द
वाद संख्या :-3658/2026
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D202609600003658
इमरान पुत्र आबुल हसन आदि बनाम सरकार आदि
अंतर्गत धारा:- 67(5), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

---

(2)

नम्बरान के कितने रकबे पर अतिक्रमण किया गया है, दर्शाया गया है। गोल मोल तरीके से दोनों खसरा नम्बरान की मौके व शजरे के विपरीत चौहददी दर्शाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा उसी आधार पर आदेश पारित कर दिया गया है। अपीलार्थीगण पर लगायी गयी क्षतिपूर्ति भी नियम व कानून के विपरीत है। अपीलार्थीगण के द्वारा किसी भी ग्राम समाज की सम्पति पर अवैध कब्जा नही किया गया कि अपीलार्थीगण के द्वारा निम्न न्यायालय के समक्ष भी मौके की पैमाइश करने के उपरान्त कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना की गयी थी परन्तु अवर न्यायालय के द्वारा मौके की कोई पैमाइश नही की गयी है। अपीलार्थीगण से भी निवेदन करते है कि उपरोक्त अपील में आदेश पारित करने से पूर्व स्वयं या तहसील के अधिकारी व कर्मचारियो के द्वारा अपीलार्थीगण की उपस्थिति में स्थल की पैमाइश करने के उपरान्त ही आदेश पारित किये जावे। मौके पर किसी भी ग्राम समाज सम्पत्ति पर अपीलार्थीगण का कोई अवैध कब्जा नही है। अपीलार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से आदेश पारित करने से अपीलार्थीगण को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर नही दिया गया ओर अपीलार्थीगण के लिए न्याय के द्वार भी हमेशा के लिए बन्द हो गये है। अपील पत्र में अपील स्वीकार की जाकर अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.4.2026 व नोटिस आर.सी. प्रपत्र 19 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

सरकार/ग्राम सभा की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) सहारनपुर के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। आपत्ति में कथन किया गया है कि उपरोक्त अपील आदेश दिनांक 10.04.2026 के विरूद्ध से दिनांक 23.04.2026 को विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत प्रस्तुत की गयी है। हल्का लेखपाल ने अपनी आख्या में स्पष्ट किया कि अपीलार्थीगण का अवैध कब्जा खसरा नम्बर 271 व 273 रकबा 0.0946 हे0 भूमि पर चला आ रहा है। अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि उसका अवैध कब्जा खसरा नम्बर 271 व 273 की भूमि पर नहीं है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04..2026 विधिसम्मत आदेश है और ऐसे आदेश के विरूद्ध की गयी अपील पोषणीय नहीं है। अपीलार्थीगण के द्वारा उपरोक्त अपील को लम्बित रखने व ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा बनाये रखने की गरज से प्रस्तुत की गयी है। ख0नं0 271 व 273 राजस्व अभिलेखों में जोहड के नाम अंकित है जो धारा–77 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि है और ऐसी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अवैध कब्जे के आधार पर कोई लाभ प्रदान नहीं कियें जा सकते है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अपील कलेक्टर, सहारनपुर के आदेशान्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 01.07.2026 निस्तारण हेतु इस न्यायालय में अन्तरित की गई। अवर न्यायालय की पत्रावली आहूत की गई।

अपर कलेक्टर (प्र0) अपर जिला कलेक्टर जनपद सहारनपुर ★ सहारनपुर ★

क्रमशः तीन पर ....

Printed at: 22-07-2026 01:43 PM

आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, प्रशासन
पीठासीन अधिकारी का नाम :- संतोष बहादुर सिंह
मण्डल :सहारनपुर,जनपद :सहारनपुर,तहसील :देवबन्द
वाद संख्या :-3658/2026
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D202609600003658
इमरान पुत्र आबुल हसन आदि बनाम सरकार आदि
अंतर्गत धारा:- 67(5), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

(3)

पक्षो की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई। पत्रावली का अवर न्यायालय की पत्रावली सहित सम्यक अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि ग्राम ताशीपुर के राजस्व अभिलेख खतौनी वर्ष 1430–1435 फसली के खाता सं0 334 पर ख0नं0 271म रकबा 0.1020 हे0 व ख0नं0 273 रकबा 0.1740 हे0 श्रेणी 6–1 अकृषिक भूमि–जलमग्न भूमि जोहड दर्ज है। ग्राम सभा सचिव/क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट आर0सी0प्रपत्र 19 दिनांक 14.10.2024 में अपीलार्थीगण का ख0नं0 271म रकबा 0.0173 हे0 व ख0नं0 273म रकबा 0.0773 हे0 कुल 0.0946 हे0 जोहड की भूमि पर पक्का मकान बनाकर अवैध अध्यासन दर्शाया गया है। क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या के साथ संलग्न नजरी नक्शा में अपीलार्थीगण का अवैध अध्यासन काली लाईन से दर्शाया गया है एवं पैमाईशी आख्या का विवरण भी अंकित किया गया है। क्षेत्रीय लेखपाल ने अवर न्यायालय में अपने बयान में रिपोर्ट दिनांक 14.10.2024 की पुष्टि की है। अवर न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण का जोहड की भूमि पर अवैध अध्यासन साक्ष्यो से सिद्ध होने पर अपीलार्थीगण को बेदखल किया गया है। अपीलार्थीगण की ओर से ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उनका वादग्रस्त जोहड की भूमि पर अवैध अध्यासन न हो। चूंकि प्रश्नगत भूमि पर राजस्व अभिलेख खतौनी में तालाब/जोहड की भूमि दर्ज है, जो राजस्व संहिता की धारा 77 के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का विधिक अधिकार प्राप्त नही होते है। ऐसी स्थिति में अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 10.04.2026 में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नही होती है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी श्री इमरान, इनाम, इसरार पुत्रगण आबुल हसन निवासीगण तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है। आदेश की प्रतिलिपि सहित वाद पत्रावली अवर न्यायालय में वापस भेजी जाये तथा इस न्यायालय की पत्रावली बाद आवश्यक पूर्ति अभिलेखागार में संचित की जाए।

दिनांकः जुलाई, 22 , 2026

22/07/26
(संतोष बहादुर सिंह)
अपर कलेक्टर (प्रशासन)
सहारनपुर।

अपर कलेक्टर (प्र0) अपर जिला कलेक्टर जनपद सहारनपुर ★ सहारनपुर ★

प्रार्थना पत्र संख्या....... 26
प्रार्थना पत्र का दिनांक 22.07.26
नोटिस का दिनाँक 22.07.26
प्रतिलिपि दिये जाने का दि0 22.07.26
प्रतिलिपि शुल्क........ 21
शब्दो की संख्या........ 1500

नकल कर्ता..........
मिलान कर्ता..........

सत्य प्रतिलिपि
22/07/2026
पेशकार/अहलमद
अपर कलक्टर/अपर जिला मजिस्ट्रेट प्र0

पृष्ठ संख्या :

Printed at: 22-07-2026 01:30 PM

निरस्तारित

आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, प्रशासन
पीठासीन अधिकारी का नाम :- संतोष बहादुर सिंह
मण्डल :सहारनपुर,जनपद :सहारनपुर,तहसील :देवबन्द
वाद संख्या :-3746/2026
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D202609600003746
सलीम पुत्र मोहम्मद बनाम सरकार आदि
अंतर्गत धारा:- 67(5), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

ग्राम तांशीपुर प० नागल
तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर

नकल निर्णय दिनांक 22/07/2026

प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी श्री सलीम पुत्र मौहम्मद निवासी ग्राम तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के द्वारा अवर न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार देवबन्द के आदेश दिनांक 10.04.2026 बाबत वाद संख्या टी202409600405989 ग्राम सभा तांशीपुर बनाम सलीम अन्तर्गत धारा 67 उ0प्र0राजस्व संहिता 2006, से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी।

अपीलार्थी के द्वारा अपनी अपील में मुख्य रूप से कहा है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 एकपक्षीय नियम व कानून के विपरीत है जो बिल्कुल खिलाफ कानून, मौका एवं वाका होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अवर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 10.04.2026 पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को न तो साक्ष्य/जिरह का अवसर प्रदान किया गया और न ही बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के विरुद्ध बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकपक्षीय रूप से आदेश पारित किया गया है। अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत जाकर पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर तथा पूर्व से ही मन बनाकर बिना किसी आधार के त्रुटिपूर्ण आदेश पारित कर दिया है। अपीलार्थी को उपरोक्त नोटिस गांव की पार्टीबाजी के आधार पर सैयद मौहम्मद राशिद दूसरे गांव निवासी चहलौली द्वारा रंजिशन माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान पीठ नयी दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मौके की रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय से चाही गयी थी, जिस पर मौके की रिपोर्ट देने की बजाय व स्थल निरीक्षण किये बिना माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे अपनी छवि उत्तम दर्शाने के लिए अपीलार्थी सहित 18 व्यक्तियों को 67(1) के नोटिस जारी कर दिये हैं। अपीलार्थी का कोई कब्जा खसरा नम्बर 273 रकबा 0.1740 हे0 में से 0.0041 हे0 पर नही है। अपीलार्थी का मकान गांव की सामूहिक आबादी में बना हुआ है, पुशतैनी मकान है, जिस पर लेखपाल द्वारा गलत रूप से खसरा नम्बर 273 में मकान दर्शाया है। कोई मौके की पैमाइश नही की गयी है, न ही कोई उपस्थिति पत्र बनाया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही गुप चुप तरीके से लेखपाल द्वारा अपने दफ्तर में बैठकर की गयी है। अपीलार्थी को खसरा नम्बर 273 के सम्बन्ध में बेदखली का आदेश पारित किया गया है परन्तु उक्त खसरा नम्बरान की न तो कोई पैमाइश की गयी है, ना ही किस खसरा नम्बरान के कितने रकबे पर अतिक्रमण किया गया है, खसरा नम्बरान की न तो कोई पैमाइश की गयी है ना ही किस खसरा नम्बरान के कितने रकबे पर अतिक्रमण किया गया है, दर्शाया गया है। गोल मोल तरीके से खसरा नम्बर 273 की मौके व शजरे के विपरीत चौहद्दी दर्शाकर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी

क्रमशः दो पर ....

न्यायालय अपर कलेक्टर (प्र०) अपर जिलाधिकारी जनपद सहारनपुर ★ सहारनपुर ★

Printed at: 22-07-2026 01:30 PM

आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, प्रशासन
पीठासीन अधिकारी का नाम :- संतोष बहादुर सिंह
मण्डल :सहारनपुर,जनपद :सहारनपुर,तहसील :देवबन्द
वाद संख्या :-3746/2026
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D202609600003746
सलीम पुत्र मोहम्मद बनाम सरकार आदि
अंतर्गत धारा:- 67(5), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

(2)

है तथा उसी आधार पर आदेश पारित कर दिया गया है। अपीलार्थी पर लगायी गयी क्षतिपूर्ति भी नियम व कानून के विपरीत है। अपीलार्थी के द्वारा किसी भी ग्राम समाज की सम्पत्ति पर अवैध कब्जा नही किया गया। अपीलार्थी के द्वारा निम्न न्यायालय के समक्ष भी मौके की पैमाइश करने के उपरान्त कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना की गयी थी परन्तु अवर न्यायालय के द्वारा मौके की कोई पैमाइश नही की गयी है। अपीलार्थी से भी निवेदन करते है कि उपरोक्त अपील में आदेश पारित करने से पूर्व स्वयं या तहसील के अधिकारी व कर्मचारियो के द्वारा अपीलार्थी की उपस्थिति में स्थल की पैमाइश करने के उपरान्त ही आदेश पारित किये जावे जिससे वास्तविक स्थिति समक्ष आ जायेगी। मौके पर किसी भी ग्राम समाज सम्पत्ति पर अपीलार्थी का कोई अवैध कब्जा नही है। अपीलार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से आदेश पारित करने से अपीलार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर नही दिया गया ओर अपीलार्थी के लिए न्याय के द्वार भी हमेशा के लिए बन्द हो गये है। अपील पत्र में अपील स्वीकार की जाकर अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 व नोटिस आर.सी. प्रपत्र 19 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपील पत्र के साथ धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

सरकार/ग्राम सभा की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) सहारनपुर के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। आपत्ति में कथन किया गया है कि उपरोक्त अपील आदेश दिनांक 10.04.2026 के विरूद्ध विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत प्रस्तुत की गयी है। हल्का लेखपाल ने अपनी आख्या में स्पष्ट किया कि अपीलार्थी का अवैध कब्जा खसरा नम्बर 273म रकबा 0.0041 हे0 भूमि पर चला आ रहा है। अपीलार्थी द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि उसका अवैध कब्जा खसरा नम्बर 273 की भूमि पर नहीं है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 विधि सम्मत आदेश है और ऐसे आदेश के विरूद्ध की गयी अपील पोषणीय नहीं है। अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त अपील को लम्बित रखने व ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा बनाये रखने की गरज से प्रस्तुत की गयी है। ख0नं0 273म राजस्व अभिलेखों में जोहड के नाम अंकित है, जो धारा 77 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि है और ऐसी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अवैध कब्जे के आधार पर कोई लाभ प्रदान नहीं कियें जा सकते है। इसलिये भी उपरोक्त अपील पोषणीय नहीं हैं।

अपील कलक्टर, सहारनपुर के आदेशान्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 01.07.2026 को निस्तारण हेतु इस न्यायालय में अन्तरित की गई। अवर न्यायालय की पत्रावली आहूत की गई।

न्यायालय अपर कलक्टर (प्र0) अपर जिलाधिकारी जनपद सहारनपुर ★ सहारनपुर ★

क्रमशः तीन पर ....

Printed at: 22-07-2026 01:30 PM

आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, प्रशासन
पीठासीन अधिकारी का नाम :- संतोष बहादुर सिंह
मण्डल :सहारनपुर,जनपद :सहारनपुर,तहसील :देवबन्द
वाद संख्या :-3746/2026
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D202609600003746
सलीम पुत्र मोहम्मद बनाम सरकार आदि
अंतर्गत धारा:- 67(5), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

(3)

पक्षो की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई। पत्रावली का अवर न्यायालय की पत्रावली सहित सम्यक अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। न्यायहित में अपीलार्थी को धारा 5 कानून मियाद का लाभ प्रदान करते हुए अपील का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर निस्तारण किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि ग्राम ताशीपुर के राजस्व अभिलेख खतौनी वर्ष 1430–1435 फसली के खाता सं0 334 पर ख0नं0 273 रकबा 0.1740 हे0 श्रेणी 6–1 अकृषिक भूमि–जलमग्न भूमि जोहड दर्ज है। ग्राम सभा सचिव/ क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट आर0सी0प्रपत्र 19 दिनांक 14.10.2024 में अपीलार्थी का ख0नं0 273 रकबा 0.1740 हे0 में से 0.0041 हे0 जोहड की भूमि पर पक्का मकान बनाकर अवैध अध्यासन दर्शाया गया है। क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या के साथ संलग्न नजरी नक्शा में अपीलार्थी का अवैध अध्यासन काली लाईन से दर्शाया गया है एवं पैमाईशी आख्या का विवरण भी अंकित किया गया है। क्षेत्रीय लेखपाल ने अवर न्यायालय में अपने बयान में रिपोर्ट दिनांक 14.10.2024 की पुष्टि की है। अवर न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का जोहड की भूमि पर अवैध अध्यासन साक्ष्यो से सिद्ध होने पर अपीलार्थी को बेदखल किया गया है। अपीलार्थी की ओर से ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उसका वादग्रस्त जोहड की भूमि पर अवैध अध्यासन न हो। चूंकि प्रश्नगत भूमि पर राजस्व अभिलेख खतौनी में तालाब/जोहड की भूमि दर्ज है, जो राजस्व संहिता की धारा 77 के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का विधिक अधिकार प्राप्त नही होते है। ऐसी स्थिति में अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 10.04.2026 में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नही होती है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर श्री सलीम पुत्र मौहम्मद निवासी ग्राम तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है। आदेश की प्रतिलिपि सहित वाद पत्रावली अवर न्यायालय में वापस भेजी जाये तथा इस न्यायालय की पत्रावली बाद आवश्यक पूर्ति अभिलेखागार में संचित की जाए।

दिनांक: जुलाई, 22 , 2026

22.07.26
(संतोष बहादुर सिंह)
अपर कलेक्टर (प्रशासन)
सहारनपुर।

न्यायालय अपर कलेक्टर (प्र०) अपर जिला कलेक्टर जनपद सहारनपुर ★ सहारनपुर ★

प्रार्थना पत्र संख्या...... 24
नकल कर्ता..........
प्रार्थना पत्र का दिनांक 22.07.26
मिलान कर्ता..........
नोटिस का दिनांक 22.07.26
प्रतिलिपि दिये जाने का दि० 22.07.26
प्रतिलिपि शुल्क... [illegible]
शब्दो की संख्या....1520 [illegible]

सत्य प्रतिलिपि
22/07/2026
पेशकार/अहलमद
अपर कलक्टर/अपर जिला मजिस्ट्रेट प्र०
सहारनपुर।

Printed at: 22-07-2026 01:29 PM

=प्रतिलिपित=

आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, प्रशासन
पीठासीन अधिकारी का नाम :- संतोष बहादुर सिंह
मण्डल :सहारनपुर,जनपद :सहारनपुर,तहसील :देवबन्द
वाद संख्या :-5104/2026
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D202609600005104
शहजाद, शाहनवाज, अखलाक पुत्रगण शब्बीर बनाम सरकार उत्तर प्रदेश
अंतर्गत धारा:- 67(5), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

ग्राम तांशीपुर मु० पर० नागल
तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर

– नकल निर्णय दिनांक 22/07/2026 –

प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी श्री शहजाद, शाहनवाज व इखलाक पुत्रगण शब्बीर निवासीगण तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के द्वारा अवर न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार देवबन्द के आदेश दिनांक 04.04.2026 बाबत वाद संख्या टी202409600405984 ग्राम सभा तांशीपुर बनाम शहजाद आदि अन्तर्गत धारा 67 उ0प्र0राजस्व संहिता 2006, से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी।

अपीलार्थीगण के द्वारा अपनी अपील में मुख्य रूप से कहा है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2026 एकपक्षीय नियम व कानून के विपरीत है जो बिल्कुल खिलाफ कानून खिलाफ मौका एवं खिलाफ वाका होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अवर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 04.04.2026 पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को न तो साक्ष्य का अवसर दिया गया ओर न ही जिरह का अवसर प्रदान किया गया और न ही बहस सुनी गयी। अपीलार्थीगण के विरुद्ध बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकपक्षीय रूप से आदेश पारित किया गया है। अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत जाकर पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर तथा पूर्व से ही मन बनाकर बिना किसी आधार के त्रुटिपूर्ण आदेश पारित कर दिया है। अपीलार्थीगण को उपरोक्त नोटिस गांव की पार्टीबाजी के आधार पर सैयद मौहम्मद राशिद दूसरे गांव निवासी चहलौली द्वारा रंजिशन माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान पीठ नयी दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मौके की रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय से चाही गयी थी, जिस पर मौके की रिपोर्ट देने की बजाय व स्थल निरीक्षण किये बिना माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे अपनी छवि उत्तम दर्शाने के लिए अपीलार्थीगण सहित 18 व्यक्तियों को 67(1) के नोटिस जारी कर दिये हैं। अपीलार्थीगण का कोई कब्जा खसरा नम्बर 273 पर नही है। अपीलार्थी का मकान गांव की सामूहिक आबादी में बना हुआ है, पुशतैनी मकान है, जिस पर लेखपाल द्वारा गलत रूप से खसरा नम्बर 273 में मकान दर्शाया है। कोई मौके की पैमाइश नही की गयी है, न ही कोई उपस्थिति पत्र बनाया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही गुप चुप तरीके से लेखपाल द्वारा अपने दफ्तर में बैठकर की गयी है। उपरोक्त नोटिस व आदेश दिनाकी 04.04.2026 कानून के विपरीत तीन व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कितने क्षेत्रफल पर कब्जा किया गया है, की गणना नही की गयी है। अपीलार्थीगण को खसरा नम्बर 273 के सम्बन्ध में बेदखली का आदेश पारित किया गया है परन्तु उक्त खसरा नम्बरान की न तो कोई पैमाइश की गयी है, ना ही किस खसरा नम्बरान के कितने रकबे पर अतिक्रमण किया गया है, खसरा नम्बरान की न तो कोई पैमाइश की गयी है ना ही किस खसरा नम्बरान के कितने रकबे पर अतिक्रमण किया

कलेक्टर (प्र०) अपर जिला कलेक्टर जनपद सहारनपुर ★ सहारनपुर

क्रमशः दो पर ....

Printed at: 22-07-2026 01:29 PM

आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, प्रशासन
पीठासीन अधिकारी का नाम :- संतोष बहादुर सिंह
मण्डल :सहारनपुर,जनपद :सहारनपुर,तहसील :देवबन्द
वाद संख्या :-5104/2026
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D202609600005104
शहजाद, शाहनवाज, अखलाक पुत्रगण शब्बीर बनाम सरकार उत्तर प्रदेश
अंतर्गत धारा:- 67(5), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

(2)

गया है, दर्शाया गया है। गोल मोल तरीके से दोनों खसरा नम्बरान की मौके व शजरे के विपरीत चौहददी दर्शाकर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा उसी आधार पर आदेश पारित कर दिया गया है। अपीलार्थीगण पर लगायी गयी क्षतिपूर्ति भी नियम व कानून के विपरीत है। अपीलार्थीगण के द्वारा किसी भी ग्राम समाज की सम्पत्ति पर अवैध कब्जा नही किया गया कि अपीलार्थी के द्वारा निम्न न्यायालय के समक्ष भी मौके की पैमाइश करने के उपरान्त कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना की गयी थी परन्तु अवर न्यायालय के द्वारा मौके की कोई पैमाइश नही की गयी है। अपीलार्थी से भी निवेदन करते है कि उपरोक्त अपील में आदेश पारित करने से पूर्व स्वयं या तहसील के अधिकारी व कर्मचारियो के द्वारा अपीलार्थीगण की उपस्थिति में स्थल की पैमाइश करने के उपरान्त ही आदेश पारित किये जावे जिससे वास्तविक स्थिति समक्ष आ जायेगी। मौके पर किसी भी ग्राम समाज सम्पत्ति पर अपीलार्थीगण का कोई अवैध कब्जा नही है। अपीलार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से आदेश पारित करने से अपीलार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। अपील पत्र में अपील स्वीकार की जाकर अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2026 व नोटिस आर.सी. प्रपत्र 19 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील पत्र के साथ धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

सरकार/ग्राम सभा की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) सहारनपुर के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। आपत्ति में कथन किया गया है कि उपरोक्त अपील आदेश दिनांक 04.04.2026 के विरूद्ध से विलम्ब से दिनांक 16.06.2026 को विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत प्रस्तुत की गयी है। हल्का लेखपाल ने अपनी आख्या में स्पष्ट किया कि अपीलार्थीगण का अवैध कब्जा खसरा नम्बर 273म रकबा 0.0030 हे0 भूमि पर चला आ रहा है। अपीलार्थीगण द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि उसका अवैध कब्जा खसरा नम्बर 273 की भूमि पर नहीं है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2026 विधिसम्मत आदेश है और ऐसे आदेश के विरूद्ध की गयी अपील पोषणीय नहीं है। अपीलार्थीगण के द्वारा उपरोक्त अपील को लम्बित रखने व ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा बनाये रखने की गरज से प्रस्तुत की गयी है। ख0नं0 273म राजस्व अभिलेखों में जोहड के नाम अंकित है, जो धारा-- 77 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि है और ऐसी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अवैध कब्जे के आधार पर कोई लाभ प्रदान नहीं किये जा सकते है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय अपर कलेक्टर (प्र०) अपर जिलाधिकारी जनपद सहारनपुर ★ सहारनपुर ★

क्रमशः तीन पर ....

Printed at: 22-07-2026 01:29 PM

आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, प्रशासन
पीठासीन अधिकारी का नाम :- संतोष बहादुर सिंह
मण्डल :सहारनपुर,जनपद :सहारनपुर,तहसील :देवबन्द
वाद संख्या :-5104/2026
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D202609600005104
शहजाद, शाहनवाज, अखलाक पुत्रगण शब्बीर बनाम सरकार उत्तर प्रदेश
अंतर्गत धारा:- 67(5), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

(3)

अपील कलक्टर, सहारनपुर के आदेशान्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 01.07.2026 को निस्तारण हेतु इस न्यायालय में अन्तरित की गई। अवर न्यायालय की पत्रावली आहूत की गई।

पक्षो की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई। पत्रावली का अवर न्यायालय की पत्रावली सहित सम्यक अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। न्यायहित में अपीलार्थीगण को धारा 5 कानून मियाद का लाभ प्रदान करते हुए अपील का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर निस्तारण किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि ग्राम ताशीपुर के राजस्व अभिलेख खतौनी वर्ष 1430–1435 फसली के खाता सं0 334 पर ख0नं0 273 रकबा 0.1740 हे0 श्रेणी 6–1 अकृषिक भूमि–जलमग्न भूमि जोहड दर्ज है। ग्राम सभा सचिव/क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट आर0सी0प्रपत्र 19 दिनांक 14.10.2024 में अपीलार्थीगण का ख0नं0 273 रकबा 0.1740 हे0 में से 0.0071 हे0 जोहड की भूमि पर पक्का मकान बनाकर अवैध अध्यासन दर्शाया गया है। क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या के साथ संलग्न नजरी नक्शा में अपीलार्थी का अवैध अध्यासन काली लाईन से दर्शाया गया है एवं पैमाईशी आख्या का विवरण भी अंकित किया गया है। क्षेत्रीय लेखपाल ने अवर न्यायालय में अपने बयान में रिपोर्ट दिनांक 14.10.2024 की पुष्टि की है। अवर न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण का जोहड की भूमि पर अवैध अध्यासन साक्ष्यो से सिद्ध होने पर अपीलार्थीगण को बेदखल किया गया है। अपीलार्थीगण की ओर से ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उसका वादग्रस्त जोहड की भूमि पर अवैध अध्यासन न हो। चूंकि प्रश्नगत भूमि पर राजस्व अभिलेख खतौनी में तालाब/जोहड की भूमि दर्ज है, जो राजस्व संहिता की धारा 77 के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का विधिक अधिकार प्राप्त नही होते है। ऐसी स्थिति में अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 04.04.2026 में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नही होती है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी श्री शहजाद, शाहनवाज व इखलाक पुत्रगण शब्बीर निवासीगण ताशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है। आदेश की प्रतिलिपि सहित वाद पत्रावली अवर न्यायालय में वापस भेजी जाये तथा इस न्यायालय की पत्रावली बाद आवश्यक पूर्ति अभिलेखागार में संचित की जाए।

दिनांक: जुलाई, 22 , 2026

22.07.26

(संतोष बहादुर सिंह)
अपर कलेक्टर (प्रशासन)
सहारनपुर।

अपर कलेक्टर (प्र0) अपर जिला कलेक्टर
जनपद सहारनपुर
★ सहारनपुर ★

प्रार्थना पत्र सख्या....27
प्रार्थना पत्र का दिनांक...22.07.26
नोटिस का दिनाँक....22.07.26
प्रतिलिपि दिये जाने का दि0 22.07.26
प्रतिलिपि शुल्क....शासकीय कार्य हेतु
शब्दो की संख्या...1500 शब्द सम्पन्न

नकल कर्ता.........
मिलान कर्ता.........

पृष्ठ संख्या :

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार/अहलमद 22/07/2026
अपर कलक्टर/अपर जिला मजिस्ट्रेट प्र0
सहारनपुर।

Printed at: 22-07-2026 01:32 PM

– निस्तारित –

आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, प्रशासन
पीठासीन अधिकारी का नाम :- संतोष बहादुर सिंह
मण्डल :सहारनपुर,जनपद :सहारनपुर,तहसील :देवबन्द
वाद संख्या :-3747/2026
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D202609600003747
मुकर्रम पुत्र मौ0 उमर बनाम सरकार आदि
अंतर्गत धारा:- 67(5), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

ग्राम तांशीपुर मु० परग० नागल
तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर

– नकल निर्णय दिनांक - 22/07/26

प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी श्री मुकर्रम पुत्र मौ0 उमर निवासी ग्राम तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के द्वारा अवर न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार देवबन्द के आदेश दिनांक 10.04.2026 बाबत वाद संख्या टी202409600405989 ग्राम सभा तांशीपुर बनाम मुकर्रम अन्तर्गत धारा 67 उ0प्र0राजस्व संहिता 2006, से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी।

अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में मुख्य रूप से कहा है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 एकपक्षीय नियम व कानून के विपरीत है जो बिल्कुल खिलाफ कानून, मौका एवं वाका होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अवर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 10.04.2026 पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को न तो साक्ष्य का अवसर दिया गया ओर न ही जिरह का अवसर प्रदान किया गया और न ही अपीलार्थी की बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के विरुद्ध बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकपक्षीय रूप से आदेश पारित किया गया है। अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत जाकर पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर तथा पूर्व से ही मन बनाकर बिना किसी आधार के त्रुटिपूर्ण आदेश पारित कर दिया है। अपीलार्थी को उपरोक्त नोटिस गांव की पार्टीबाजी के आधार पर सैयद मौहम्मद राशिद दूसरे गांव निवासी चहलौली द्वारा रंजिशन माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान पीठ नयी दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मौके की रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय से चाही गयी थी, जिस पर मौके की रिपोर्ट देने की बजाय व स्थल निरीक्षण किये बिना माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे अपनी छवि उत्तम दर्शाने के लिए अपीलार्थी सहित 18 व्यक्तियों को 67(1) के नोटिस जारी कर दिये हैं। अपीलार्थी का कोई कब्जा खसरा नम्बर 273 रकबा 0.1740 हे0 में से 0.0190 हे0 पर नही है। अपीलार्थी का मकान गांव की सामूहिक आबादी में बना हुआ है, पुशतैनी मकान है, जिस पर लेखपाल द्वारा गलत रूप से खसरा नम्बर 273 में मकान दर्शाया है। कोई मौके की पैमाइश नही की गयी है, न ही कोई उपस्थिति पत्र बनाया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही गुप चुप तरीके से लेखपाल द्वारा अपने दफ्तर में बैठकर की गयी है। अपीलार्थी को खसरा नम्बर 273 के सम्बन्ध में बेदखली का आदेश पारित किया गया है परन्तु उक्त खसरा नम्बरान की न तो कोई पैमाइश की गयी है, ना ही किस खसरा नम्बरान के कितने रकबे पर अतिक्रमण किया गया है, खसरा नम्बरान की न तो कोई पैमाइश की गयी है ना ही किस खसरा नम्बरान के कितने रकबे पर अतिक्रमण किया गया है, दर्शाया गया है। गोल मोल तरीके से खसरा नम्बर 273 की मौके व शजरे के

क्रमशः दो पर ....

अपर कलेक्टर (प्र०) अपर जिला कलेक्टर न्यायालय ★ सहारनपुर ★ जनपद सहारनपुर

Printed at: 22-07-2026 01:32 PM

आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, प्रशासन
पीठासीन अधिकारी का नाम :- संतोष बहादुर सिंह
मण्डल :सहारनपुर,जनपद :सहारनपुर,तहसील :देवबन्द
वाद संख्या :-3747/2026
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D202609600003747
मुकर्रम पुत्र मो0 उमर बनाम सरकार आदि
अंतर्गत धारा:- 67(5), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

---

(2)

विपरीत चौहद्दी दर्शाकर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा उसी आधार पर आदेश पारित कर दिया गया है। अपीलार्थी पर लगायी गयी क्षतिपूर्ति भी नियम व कानून के विपरीत है। अपीलार्थी सीधे सादा किसान व्यक्ति है। अपीलार्थी के द्वारा किसी भी ग्राम समाज की सम्पत्ति पर अवैध कब्जा नही किया गया। अपीलार्थी के द्वारा निम्न न्यायालय के समक्ष भी मौके की पैमाइश करने के उपरान्त कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना की गयी थी परन्तु अवर न्यायालय के द्वारा मौके की कोई पैमाइश नही की गयी है। उपरोक्त अपील में आदेश पारित करने से पूर्व स्वयं या तहसील के अधिकारी व कर्मचारियो के द्वारा अपीलार्थी की उपस्थिति में स्थल की पैमाइश करने के उपरान्त ही आदेश पारित किये जावे। मौके पर किसी भी ग्राम समाज सम्पत्ति पर अपीलार्थी का कोई अवैध कब्जा नही है। अपीलार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से आदेश पारित करने से अपीलार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर नही दिया गया ओर अपीलार्थी के लिए न्याय के द्वार भी हमेशा के लिए बन्द हो गये है। अपील पत्र में अपील स्वीकार की जाकर अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 व नोटिस आर.सी. प्रपत्र 19 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपील पत्र के साथ धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

सरकार/ग्राम सभा की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) सहारनपुर के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। आपत्ति में कथन किया गया है कि उपरोक्त अपील आदेश दिनांक 10.04.2026 के विरूद्ध विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत प्रस्तुत की गयी है। हल्का लेखपाल ने अपनी आख्या में स्पष्ट किया कि अपीलार्थी का अवैध कब्जा खसरा नम्बर 273म रकबा 0.0190 हे0 भूमि पर चला आ रहा है। अपीलार्थी द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि उसका अवैध कब्जा खसरा नम्बर 273 की भूमि पर नहीं है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 विधि सम्मत आदेश है और ऐसे आदेश के विरुद्ध की गयी अपील पोषणीय नहीं है। अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त अपील को लम्बित रखने व ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा बनाये रखने की गरज से प्रस्तुत की गयी है। ख0नं0 273म राजस्व अभिलेखों में जोहड के नाम अंकित है, जो धारा 77 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि है और ऐसी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अवैध कब्जे के आधार पर कोई लाभ प्रदान नहीं कियें जा सकते है। इसलिये भी उपरोक्त अपील पोषणीय नहीं हैं।

अपील कलक्टर, सहारनपुर के आदेशान्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 01.07.2026 को निस्तारण हेतु इस न्यायालय में अन्तरित की गई। अवर न्यायालय की पत्रावली आहूत की गई।

न्यायालय अपर कलेक्टर (प्र0) अपर जिला कलेक्टर जनपद सहारनपुर ★ सहारनपुर ★

क्रमशः तीन पर ....

Printed at: 22-07-2026 01:32 PM

आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, प्रशासन
पीठासीन अधिकारी का नाम :- संतोष बहादुर सिंह
मण्डल :सहारनपुर,जनपद :सहारनपुर,तहसील :देवबन्द
वाद संख्या :-3747/2026
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D202609600003747
मुकर्रम पुत्र मो0 उमर बनाम सरकार आदि
अंतर्गत धारा:- 67(5), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

(3)

पक्षो की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई। पत्रावली का अवर न्यायालय की पत्रावली सहित सम्यक अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। न्यायहित में अपीलार्थी को धारा 5 कानून मियाद का लाभ प्रदान करते हुए अपील का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर निस्तारण किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि ग्राम ताशीपुर के राजस्व अभिलेख खतौनी वर्ष 1430–1435 फसली के खाता सं0 334 पर ख0नं0 273 रकबा 0.1740 हे0 श्रेणी 6–1 अकृषिक भूमि–जलमग्न भूमि जोहड दर्ज है। ग्राम सभा सचिव/ क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट आर0सी0प्रपत्र 19 दिनांक 14.10.2024 में अपीलार्थी का ख0नं0 273 रकबा 0.1740 हे0 में से 0.0190 हे0 जोहड की भूमि पर पक्का मकान बनाकर अवैध अध्यासन दर्शाया गया है। क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या के साथ संलग्न नजरी नक्शा में अपीलार्थी का अवैध अध्यासन काली लाईन से दर्शाया गया है एवं पैमाईशी आख्या का विवरण भी अंकित किया गया है। क्षेत्रीय लेखपाल ने अवर न्यायालय में अपने बयान में रिपोर्ट दिनांक 14.10.2024 की पुष्टि की है। अवर न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का जोहड की भूमि पर अवैध अध्यासन साक्ष्यो से सिद्ध होने पर अपीलार्थी को बेदखल किया गया है। अपीलार्थी की ओर से ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उसका वादग्रस्त जोहड की भूमि पर अवैध अध्यासन न हो। चूंकि प्रश्नगत भूमि पर राजस्व अभिलेख खतौनी में तालाब/जोहड की भूमि दर्ज है, जो राजस्व संहिता की धारा 77 के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का विधिक अधिकार प्राप्त नही होते है। ऐसी स्थिति में अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 10.04.2026 में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नही होती है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर श्री मुकर्रम पुत्र मौ0 उमर निवासी ग्राम ताशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है। आदेश की प्रतिलिपि सहित वाद पत्रावली अवर न्यायालय में वापस भेजी जाये तथा इस न्यायालय की पत्रावली बाद आवश्यक पूर्ति अभिलेखागार में संचित की जाए।

दिनांक: जुलाई, 22 , 2026

22/07/26
(संतोष बहादुर सिंह)
अपर कलेक्टर (प्रशासन)
सहारनपुर।

न्यायालय अपर कलेक्टर (प्र0) अपर जिला कलेक्टर जनपद सहारनपुर ★ सहारनपुर ★

नकल कर्ता.........
मिलान कर्ता.........

प्रार्थना पत्र संख्या....... 25
प्रार्थना पत्र का दिनॉक... 22.07.26
नोटिस का दिनॉक....... 22.7.26
प्रतिलिपि दिये जाने का दि0.. 22.07.26
प्रतिलिपि शुल्क...... शासकीय कार्य हेतु
शब्दो की संख्या...... 1500 शब्द

सत्य प्रतिलिपि
22/07/2026
पेशकार/अहलमद
अपर कलक्टर/अपर जिला मजिस्ट्रेट प्र0
सहारनपुर।

(नकल अपील प्रस्तुत दिनांक 06.05.2026, दाखिल दिनांक 08.05.2026)

न्यायालय श्रीमान कलेक्टर साहब सहारनपुर

अपील संख्या सन 2026

सलीम पुत्र मौहम्मद निवासी ग्राम तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर...अपीलाण्ट

बनाम

1. सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा कलेक्टर साहब सहारनपुर
2. ग्राम सभा ग्राम तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर द्वारा प्रधान...रेस्पोन्डेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 67(5) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 विरुद्ध आदेश दिनांक 10.04.2026 पारित न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय देवबन्द बाबत वाद संख्या 5988/2024 क0वाद0सं0 टी202409600405988 ग्राम सभा तांशीपुर बनाम सलीम अंतर्गत धारा 67 उ0प्र0 राजस्व संहिता भूमि ग्राम तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर ।

आधार अपील

1. यह कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 एकपक्षीय नियम व कानून के विपरीत है जो बिल्कुल खिलाफ कानून खिलाफ मौका एवं खिलाफ वाका होने के कारण हर सूरत में निरस्त होने योग्य है।

सलीम

गया ओर न ही जिरह का अवसर प्रदान किया गया ओर न ही अपीलाण्ट की बहस सुनी गयी अपीलाण्ट के विरुद्ध बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकपक्षीय रूप से आदेश पारित किया गया है जो कानूनी प्राविधानो के विपरीत होने के कारण हर सूरत में निरस्त होने योग्य है।

3. यह कि निम्न न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत जाकर पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर तथा पूर्व से ही मन बनाकर बिना किसी आधार के त्रुटिपूर्ण आदेश पारित कर दिया है जो किसी भी सूरत में स्थिर रहने योग्य नही है।

4. यह कि अपीलाण्टस को उपरोक्त नोटिस गांव की पार्टीबाजी के आधार पर सैयद मौहम्मद राशिद दूसरे गांव निवासी चहलौली द्वारा रंजिशन माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान पीठ नयी दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मौके की रिपोर्ट श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से चाही गयी थी जिस पर मौके की रिपोर्ट देने की बजाय व स्थल निरीक्षण किये बिना माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे अपनी छवि उत्तम दर्शाने के लिए बिना मौका मुआयना किये प्रार्थी सहित 18 व्यक्तियों को 67(1) के नोटिस जारी कर दिये हैं।

5. यह कि अपीलाण्टस का कोई कब्जा खसरा नम्बर. 273 व 271 पर नही है प्रार्थी का मकान गांव की सामूहिक आबादी में बना हुआ है पुश्तैनी मकान है जिस पर लेखपाल द्वारा गलत रूप से खसरा नम्बर 273 व 271 में मकान दर्शाया है कोई मौके की

3/12/10

पैमाइश नही की गयी है न ही कोई उपस्थिति पत्र बनाया गया है सम्पूर्ण कार्यवाही गुप चुप तरीके से लेखपाल द्वारा अपने दफतर में बैठकर की गयी है जो निरस्त होने योग्य है।

6. यह कि उपरोक्त नोटिस व आदेश दिनाकी 10.04.2026 कानून के विपरीत तीन व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया तथा कानून में 67(1) की कार्यवाही में सामूहिक नोटिस देने का कोई प्राविधान नही है न ही प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कितने क्षेत्रफल पर कब्जा किया गया है इसकी गणना की गयी है इस कारण भी नोटिस व आदेश निरस्त होने योग्य है।

7. यह कि अपीलाण्टस को खसरा नम्बर 273, 271 के सम्बन्ध में बेदखली का आदेश पारित किया गया है परन्तु उक्त खसरा नम्बरान की न तो कोई पैमाइश की गयी है ना ही किस खसरा नम्बरान के कितने रकबे पर अतिक्रमण किया गया है नही दर्शाया गया है गोल मोल तरीके से दोनों खसरा नम्बरान की मौके व शजरे के विपरीत चौहददी दर्शाकर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा उसी आधार पर आदेश पारित कर दिया गया है जो बिल्कुल गलत व निराधार है ओर निरस्त होने योग्य है।

8. यह कि अपीलाण्ट पर लगायी गयी क्षतिपूर्ति भी नियम व कानून के विपरीत तथा भ्रामक है जो आर0सी0 प्रपत्र 19 में क्षतिपूर्ति 1,70,280/- रूपये तथा निष्पादन शुल्क 4000 रूपये दर्शायी है जो गलत व गैर कानूनी है।

9. यह कि अपीलाण्टस सीधे सादे किसान व्यक्ति है जो ग्रामीण व इज्जतदार तथा कानून के मानने वाले व्यक्ति है अपीलाण्टस के

3/2/10

द्वारा किसी भी ग्राम समाज की सम्पत्ति पर अवैध कब्जा नही किया गया इसलिए अपीलाण्टस को दिया गया नोटिस व पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 निरस्त होने के योग्य है।

10. यह कि अपीलाण्टस के द्वारा निम्न न्यायालय के समक्ष भी मौके की पैमाइश करने के उपरान्त कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना की गयी थी परन्तु निम्न न्यायालय के द्वारा मौके की कोई पैमाइश नही की गयी है अपीलाण्टस श्रीमान जी से भी निवेदन करते है कि उपरोक्त अपील में आदेश पारित करने से पूर्व स्वयं या तहसील के अधिकारी व कर्मचारियो के द्वारा अपीलाण्टसगण की उपस्थिति में स्थल की पैमाइश करने के उपरान्त ही आदेश पारित किये जावे जिससे वास्तविक स्थिति श्रीमान जी के समक्ष आ जायेगी क्योंकि मौके पर किसी भी ग्राम समाज सम्पत्ति पर प्रार्थीगण का कोई अवैध कब्जा नही है। इस कारण भी आदेश निम्न न्यायालय निरस्त होने योग्य है।

11. यह कि अपीलाण्टस के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से आदेश पारित करने से अपीलाण्टस को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर नही दिया गया ओर अपीलाण्टस के लिए न्याय के द्वार भी हमेशा के लिए बन्द हो गये है तथा अपीलाण्टस के साथ घोर अन्याय व नाइंसाफी हुई है न्याय हित में अपील स्वीकार की जाकर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 निरस्त किया जाकर अपीलाण्टस के विरुद्ध जारी नोटिस आर.सी.0 प्रपत्र 19 भी निरस्त करने की कृपा करें।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यो के आधार पर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार कर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 व नोटिस निरस्त करने की कृपा करे। कृपा होगी।

इमरान

प्रार्थीगण

दिनांक 22.04.2026

इमरान, इनाम, इसरार पुत्रगण आबुल हसन निवासीगण ग्राम तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर

इनाम

इसरार

323
14.05.2026
14.05.2026
14.05.2026
13=00 ...
800 शब्द...

नकलकर्ता......
मिलानकर्ता......

Ch. ... Singh
Advocate
Reg. No -3493/2000
CB No -31, Collectorate Court

सत्य प्रतिलिपि

न्यायालय कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
सहारनपुर

CF 5/13

नकल अपील पत्र दिनांक 06.05.2026 दाखिल दिनांक 08.05.2026

न्यायालय श्रीमान कलेक्टर साहब सहारनपुर

अपील संख्या सन 2026

नुकर्रम पुत्र मौ0 उमर निवासी ग्राम तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर...अपीलाण्ट

बनाम

1. सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा कलेक्टर साहब सहारनपुर
2. ग्राम सभा ग्राम तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर द्वारा प्रधान..रेस्पोन्डेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 67(5) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 विरुद्ध आदेश दिनांक 10.04.2026 पारित न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय देवबन्द बाबत वाद संख्या 5989/2024 क0वाद0सं0 टी202409600405989 ग्राम सभा तांशीपुर बनाम मुकर्रम अंतर्गत धारा 67 उ0प्र0 राजस्व संहिता भूमि ग्राम तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर ।

आधार अपील

1. यह कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 एकपक्षीय नियम व कानून के विपरीत है जो बिल्कुल खिलाफ कानून खिलाफ मौका एवं खिलाफ वाका होने के कारण हर सूरत में निरस्त होने योग्य है।

नुकर्रम

2. यह कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाकी 10.04.2026 पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को न तो साक्ष्य का अवसर दिया गया ओर न ही जिरह का अवसर प्रदान किया गया ओर न ही अपीलाण्ट की बहस सुनी गयी अपीलाण्ट के विरुद्ध बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकपक्षीय रूप से आदेश पारित किया गया है जो कानूनी प्राविधानो के विपरीत होने के कारण हर सूरत में निरस्त होने योग्य है।

3. यह कि निम्न न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत जाकर पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर तथा पूर्व से ही मन बनाकर बिना किसी आधार के त्रुटिपूर्ण आदेश पारित कर दिया है जो किसी भी सूरत में स्थिर रहने योग्य नही है।

4. यह कि अपीलाण्टस को उपरोक्त नोटिस गांव की पार्टीबाजी के आधार पर सैयद मौहम्मद राशिद दूसरे गांव निवासी चहलौली द्वारा रंजिशन माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान पीठ नयी दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मौके की रिपोर्ट श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से चाही गयी थी जिस पर मौके की रिपोर्ट देने की बजाय व स्थल निरीक्षण किये बिना माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे अपनी छवि उत्तम दर्शाने के लिए बिना मौका मुआयना किये प्रार्थी सहित 18 व्यक्तियों को 67(1) के नोटिस जारी कर दिये हैं।

नसीम

(3)

5. यह कि अपीलाण्टस का कोई कब्जा खसरा नम्बर 273 रकबई 0.1740 हे0 में से रकबई 0.0041 हे0 जोहड की भूमि पर अपना मकान बनाकर अवैध कब्जा नही किया है प्रार्थी का मकान गांव की सामूहिक आबादी में बना हुआ है पुशतैनी मकान है जिस पर लेखपाल द्वारा गलत रूप से खसरा नम्बर 273 में मकान दर्शाया है कोई मौके की पैमाइश नही की गयी है न ही कोई उपस्थिति पत्र बनाया गया है सम्पूर्ण कार्यवाही गुप चुप तरीके से लेखपाल द्वारा अपने दफतर में बैठकर की गयी है जो निरस्त होने योग्य है।

6. यह कि उपरोक्त नोटिस व आदेश दिनांकी 10.04.2026 कानून के विपरीत तीन व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया तथा कानून में 67(1) की कार्यवाही में सामूहिक नोटिस देने का कोई प्राविधान नही है न ही प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कितने क्षेत्रफल पर कब्जा किया गया है इसकी गणना की गयी है इस कारण भी नोटिस व आदेश निरस्त होने योग्य है।

7. यह कि अपीलाण्टस को खसरा नम्बर 273 के सम्बन्ध में बेदखली का आदेश पारित किया गया है परन्तु उक्त खसरा नम्बर की न तो कोई पैमाइश की गयी है ना ही किस खसरा नम्बरान के कितने रकबे पर अतिक्रमण किया गया है नही दर्शाया गया है गोल मोल तरीके से दोनों खसरा नम्बरान की मौके व शजरे के विपरीत चौहददी दर्शाकर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा उसी

आधार पर आदेश पारित कर दिया गया है जो बिल्कुल गलत व निराधार है ओर निरस्त होने योग्य है।

8. यह कि अपीलाण्ट पर लगायी गयी क्षतिपूर्ति भी नियम व कानून के विपरीत तथा भ्रामक है जो आर0सी0 प्रपत्र 19 में क्षतिपूर्ति 95940/– रूपये तथा निष्पादन शुल्क 4000/– रूपये दर्शायी है जो गलत व गैर कानूनी है।

9. यह कि अपीलाण्टस सीधे सादे किसान व्यक्ति है जो ग्रामीण व इज्जतदार तथा कानून के मानने वाले व्यक्ति है अपीलाण्टस के द्वारा किसी भी ग्राम समाज की सम्पत्ति पर अवैध कब्जा नही किया गया इसलिए अपीलाण्टस को दिया गया नोटिस व पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 निरस्त होने के योग्य है।

10. यह कि अपीलाण्ट के द्वारा निम्न न्यायालय के समक्ष भी मौके की पेमाइश करने के उपरान्त कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना की गयी थी परन्तु निम्न न्यायालय के द्वारा मौके की कोई पैमाइश नही की गयी है अपीलाण्ट श्रीमान जी से भी निवेदन करता है कि उपरोक्त अपील में आदेश पारित करने से पूर्व स्वयं या तहसील के अधिकारी व कर्मचारियो के द्वारा अपीलाण्ट की उपस्थिति में स्थल की पैमाइश करने के उपरान्त ही आदेश पारित किये जावे जिससे वास्तविक स्थिति श्रीमान जी के समक्ष आ जायेगी क्योंकि मौके पर किसी भी ग्राम समाज सम्पत्ति पर प्राथी का कोई अवैध कब्जा नही है। इस कारण भी आदेश निम्न न्यायालय निरस्त होने योग्य है।

(5)

11. यह कि अपीलाण्ट के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर नही दिया गया ओर अपीलाण्ट के लिए न्याय के द्वार भी हमेशा के लिए बन्द हो गये है तथा अपीलाण्ट के साथ घोर अन्याय व नाइंसाफी हुई है न्याय हित में अपील स्वीकार की जाकर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 निरस्त किया जाकर अपीलाण्ट के विरुद्ध जारी नोटिस आर.सी.0 प्रपत्र 19 भी निरस्त करने की कृपा करें।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यो के आधार पर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार कर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 व नोटिस निरस्त करने की कृपा करे। कृपा होगी।

प्रार्थी

सलीम पुत्र मौहम्मद निवासी ग्राम तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर

दिनाक 06.05.2026

335
18.05.2026
18.05.2026
18.05.2026
13 = रूपये
900 शब्द लगभग

सत्य प्रतिलिपि

नकलकर्ता.........

मिलानकर्ता.......

प्रतिलिपिक
न्यायालय कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
सहारनपुर

सलीम

(नकल अपील दिनांक 22.04.2026 दाखिल दिनांक 23.04.2026)

न्यायालय श्रीमान कलेक्टर साहब सहारनपुर

अपील संख्या सन 2026

इमरान, इनाम, इसरार पुत्रगण आबुल हसन निवासीगण ग्राम तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर..................अपीलाण्टस

बनाम

1. सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा कलेक्टर साहब सहारनपुर
2. ग्राम सभा ग्राम तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर द्वारा प्रधान..रेस्पोन्डेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 67(5) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 विरुद्ध आदेश दिनांक 10.04.2026 पारित न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय देवबन्द बाबत वाद संख्या 5991/2024 क0वाद0सं0 टी202409600405991 ग्राम सभा तांशीपुर बनाम इमरान आदि अंतर्गत धारा 67 उ0प्र0 राजस्व संहिता भूमि ग्राम तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर ।

आधार अपील

1. यह कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 एकपक्षीय नियम व कानून के विपरीत है जो बिल्कुल खिलाफ कानून खिलाफ मौका एवं खिलाफ वाका होने के कारण हर सूरत में निरस्त होने योग्य है।
2. यह कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाकी 10.04.2026 पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को न तो साक्ष्य का अवसर दिया

2. यह कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाकी 10.04.2026 पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को न तो साक्ष्य का अवसर दिया गया ओर न ही जिरह का अवसर प्रदान किया गया ओर न ही अपीलाण्ट की बहस सुनी गयी अपीलाण्ट के विरुद्ध बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकपक्षीय रूप से आदेश पारित किया गया है जो कानूनी प्राविधानो के विपरीत होने के कारण हर सूरत में निरस्त होने योग्य है।

3. यह कि निम्न न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत जाकर पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर तथा पूर्व से ही मन बनाकर बिना किसी आधार के त्रुटिपूर्ण आदेश पारित कर दिया है जो किसी भी सूरत में स्थिर रहने योग्य नही है।

4. यह कि अपीलाण्टस को उपरोक्त नोटिस गांव की पार्टीबाजी के आधार पर सैयद मौहम्मद राशिद दूसरे गांव निवासी चहलौली द्वारा रंजिशन माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान पीठ नयी दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मौके की रिपोर्ट श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से चाही गयी थी जिस पर मौके की रिपोर्ट देने की बजाय व स्थल निरीक्षण किये बिना माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे अपनी छवि उत्तम दर्शाने के लिए बिना मौका मुआयना किये प्रार्थी सहित 18 व्यक्तियों को 67(1) के नोटिस जारी कर दिये हैं।

5. यह कि अपीलाण्टस का कोई कब्जा खसरा नम्बर 273 रकबई 0.1740 हे0 में से रकबई 0.0190 हे0 जोहड की भूमि पर अपना मकान बनाकर अवैध कब्जा नही किया है प्रार्थी का मकान गांव की सामूहिक आबादी में बना हुआ है पुशतैनी मकान है जिस पर लेखपाल द्वारा गलत रूप से खसरा नम्बर 273 में मकान दर्शाया है कोई मौके की पैमाइश नही की गयी है न ही कोई उपस्थिति पत्र बनाया गया है सम्पूर्ण कार्यवाही गुप चुप तरीके से लेखपाल द्वारा अपने दफतर में बैठकर की गयी है जो निरस्त होने योग्य है।

6. यह कि उपरोक्त नोटिस व आदेश दिनाकी 10.04.2026 कानून के विपरीत तीन व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया तथा कानून में 67(1) की कार्यवाही में सामूहिक नोटिस देने का कोई प्राविधान नही है न ही प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कितने क्षेत्रफल पर कब्जा किया गया है इसकी गणना की गयी है इस कारण भी नोटिस व आदेश निरस्त होने योग्य है।

7. यह कि अपीलाण्टस को खसरा नम्बर 273 के सम्बन्ध में बेदखली का आदेश पारित किया गया है परन्तु उक्त खसरा नम्बर की न तो कोई पैमाइश की गयी है ना ही किस खसरा नम्बरान के कितने रकबे पर अतिक्रमण किया गया है नही दर्शाया गया है गोल मोल तरीके से दोनों खसरा नम्बरान की मौके व शजरे के विपरीत चौहददी दर्शाकर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा उसी

प्रकाश

आधार पर आदेश पारित कर दिया गया है जो बिल्कुल गलत व निराधार है और निरस्त होने योग्य है।

8. यह कि अपीलाण्ट पर लगायी गयी क्षतिपूर्ति भी नियम व कानून के विपरीत तथा भ्रामक है जो आर0सी0 प्रपत्र 19 में क्षतिपूर्ति 4,44600/— रूपये तथा निष्पादन शुल्क 4000/— रूपये दर्शायी है जो गलत व गैर कानूनी है।

9. यह कि अपीलाण्टस सीधे सादे किसान व्यक्ति है जो ग्रामीण व इज्जतदार तथा कानून के मानने वाले व्यक्ति है अपीलाण्टस के द्वारा किसी भी ग्राम समाज की सम्पत्ति पर अवैध कब्जा नही किया गया इसलिए अपीलाण्टस को दिया गया नोटिस व पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 निरस्त होने के योग्य है।

10. यह कि अपीलाण्ट के द्वारा निम्न न्यायालय के समक्ष भी मौके की पेमाइश करने के उपरान्त कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना की गयी थी परन्तु निम्न न्यायालय के द्वारा मौके की कोई पैमाइश नही की गयी है अपीलाण्ट श्रीमान जी से भी निवेदन करता है कि उपरोक्त अपील में आदेश पारित करने से पूर्व स्वयं या तहसील के अधिकारी व कर्मचारियो के द्वारा अपीलाण्ट की उपस्थिति में स्थल की पैमाइश करने के उपरान्त ही आदेश पारित किये जावे जिससे वास्तविक स्थिति श्रीमान जी के समक्ष आ जायेगी क्योंकि मौके पर किसी भी ग्राम समाज सम्पत्ति पर प्राथी का कोई अवैध कब्जा नही है। इस कारण भी आदेश निम्न न्यायालय निरस्त होने योग्य है।

(5)

11\. यह कि अपीलाण्ट के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर नही दिया गया ओर अपीलाण्ट के लिए न्याय के द्वार भी हमेशा के लिए बन्द हो गये है तथा अपीलाण्ट के साथ घोर अन्याय व नाइंसाफी हुई है न्याय हित में अपील स्वीकार की जाकर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 निरस्त किया जाकर अपीलाण्ट के विरुद्ध जारी नोटिस आर.सी.0 प्रपत्र 19 भी निरस्त करने की कृपा करें।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यो के आधार पर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार कर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 व नोटिस निरस्त करने की कृपा करे।

कृपा होगी।

प्रार्थी

मुकर्रम पुत्र मौ0 उमर निवासी ग्राम तांशीपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर

दिनाक 06.05.2026

334

18.05.2026

18.05.2026

18.05.2026

900 शब्द लगभग

सत्य प्रतिलिपि

नकलकर्ता.........

मिलानकर्ता.........

मुकर्रम